शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक - 15

कमार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस)

संचालक

क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन

डॉ. अनिल विरूलकर

मोहन साहू

अमर दास

भूषण सिंह नेताम

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक - 15

कमार जनजाति
का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन
शम्मी आबिदी (आई.ए.एस)
संचालक

क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन
डॉ. अनिल विरूलकर
मोहन साहू
अमर दास
भूषण सिंह नेताम

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना

मनुष्य सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था से आदिम अवस्था में घनें जंगलों, पहाड़ियों घाटियों में निवसरत था। वर्तमान समय में भी देश की जनसंख्या का कुछ भाग ग्रामीण अथवा शहरी सभ्यता से दूर सुदूर वनों पहाड़ियों में जिवन यापन कर रहे हैं। उनकी सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक एवं संस्कृतिक विकास की स्थिति अपेक्षाकृत धीमी है। ऐसे समुदाय जो आदिकाल से अन्य समुदायों से पृथक वनाच्छादित क्षेत्रों एवं पहाड़ियों में निवसरत है। उन्हें वनवासी, आदिवासी, वन्यजाति, आदिमजाति आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। इन्हें मानवशस्त्रीय, समाजशास्त्रीय, इतिहासकार, पुरातत्वविद, पाषाण कालीन एवं ग्रामीण सभ्यता की बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 अन्तर्गत कुछ समुदायों को विशिष्ठ लक्षणों के आधार पर पहचान कर अनुसूचित जनजातियों के रुप में अधिसूचित किया गया तथा उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके समग्र विकास हेतु विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किये गए हैं। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ जनजातीय समुदायों को उनके कुछ विशिष्ट लक्षणों जैसे स्थिर अथवा कम जनसंख्या दर, न्यूनतम साक्षरता दर, प्राक् अथवा आदिम कृषि तकनीक तथा आर्थिक पिछड़ापन जैसे मापदंडों के आधार पर देश के 75 अनुसूचित जनजाति समुदायों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रुप में पहचान किया गया है ।

सर्वप्रथम सन 1973 में ढेबर समिति द्वारा अन्य जनजातियों की तुलना में कम विकसित जनजाति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTGs) के रुप में पृथक से वर्गीकृत किया गया है । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (PVTGs) Perticularly Vulnarebale Tribal Groups के रुप में नामकरण किया गया।

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 5 अनुसूचित जनजातियों यथा **कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, अबुझमाड़िया** एवं **बिरहोर** को विशेष पिछड़ी जनजाति के रुप में चिन्हांकीत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए पृथक से क्षेत्रवार विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ।

राज्य की उपरोक्त विशेष पिछड़ी जनजाति अपनी विशिष्ठ संस्कृति एवं जीवनशैली के कारण जनजातीय मानचित्र में विशेष स्थान रखती है अतः उनके समाजिक–संस्कृतिक परिदृश्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का मानवशस्त्रीय, नृजातीय अध्ययन किया गया है ।

अध्ययन का उद्देश्य –

प्रस्तुत कमार जनजाति का मानवशस्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य निम्नांकित है–

1 कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की समाजिक–आर्थिक संस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना ।

2 कमार जनजाति की धार्मिक जीवन एवं लोक परम्पराओं का अध्ययन करना।

3 कमार जनजाति के जीवन शैली मे हुए विभिन्न विकास एवं परिवर्तनों का अध्ययन करना ।

अध्ययन का महत्व –

1 कमार जनजाति के विकास के लिए उनके परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप शासकीय योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन मे लाभदायक होगा।

2 जनजातीय विषयों पर अभिरूचि रखने वाले तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्ययन क्षेत्र

कमार जनजाति परिवारों का मानवशस्त्रीय अध्ययन कमार बाहुल्य गरियाबंद जिले के गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, धमतरी जिले के नगरी एवं महासमुंद जिले के महासमुंद तथा बागबाहरा विकासखंडों के ग्रामों में किया गया है।

अध्ययन प्रविधि

कमार जनजाति की मानवशस्त्रीय अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन हेतु परिवार अनुसूची साक्षात्कार अनुसूची, समूह साक्षात्कार, अवलोकन एवं छायाचित्र प्रविधियों का उपयोग क्षेत्रकार्य के दौरान किया गया। क्षेत्रकार्य हेतु कमार निवासरत जिलों के समस्त विकासखण्डों के प्रतिनिधित्व के लिए कमार ग्रामों की सूची मे से 15 से अधिक परिवार निवासरत ग्रामों की सूची तैयार कर Random Sampling Method के आधार पर चयनित ग्रामों मे से 25 प्रतिशत परिवारों का परिवार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन का कार्य किया गया।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित सम्बन्धित शोध पत्रों, पुस्तकों, जनगणना एवं शासकीय प्रतिवेदनों से किया गया है। तत्पश्चात् प्राप्त तथ्यों का सम्पादन सारणीयन तथा विश्लेषण कर प्रतिवेदन लेखन किया गया ।

==0==

अध्याय 01
जनजातीय परिचय

निवास क्षेत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मे कमार जनजाति का मुख्य रूप से रायपुर संभाग अन्तर्गत जिलों मे निवासरत है। कमार जनजाति राज्य के गरियाबंद जिले के गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, फिंगेश्वर विकासखण्ड के 199 ग्रामों, धमतरी जिले के धमतरी, मगरलोड, नगरी विकासखण्ड के 119 ग्रामों, महासमुंद जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा विकासखण्ड के 75 ग्रामों में बहुलता से निवासरत है तथा उक्त जिलों के अतिरिक्त कमार जनजाति के परिवार कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखण्ड के 13 ग्रामों, बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के कसडोल विकासखण्ड के 02 ग्रामों तथा कोण्डागांव जिले के बड़ेराजपुर विकासखण्ड के 01 ग्राम में अल्प संख्या मे निवासरत है। इस प्रकार राज्य के कुल 409 ग्रामों मे कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 7474 परिवार निवासरत है। (आधारभूत सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 अनुसार)

कमार जनजाति की उत्पत्ति –

कमार जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किवदन्ती प्रचलित है।

बिन्द्रानवागढ़ के राजा व राजपरिवारों द्वारा पूर्व में कमार जनजाति के लोग सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से बहुत अधिक कमजोर थे, अतः इन्हें कमार कहा गया।

एक किवदन्ती के आधार पर देवताओं द्वारा उत्पन्न भीमा और बूढ़ा राजा दोनों की लड़ाई इतना अधिक बढ़ गया कि युग प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। दोनों द्वारा युग प्रलय की घोषणा की गयी।

एक दिन सोरी बूढ़ा लकड़ी लेने जंगल गये जहां सामने हिरण व हिरणी उछल–कूद कर रहे थे और आपस में रति क्रिया कर रहे थे। जिसे देखकर बूढ़ा ने हिरण

को कुल्हाड़ी से मारा, हिरण ने कहा कि तुमने मुझे मारा तुम्हे पता नहीं है कि 5 दिन के बाद दुनिया में प्रलय होने वाला है जाओ इसके पूर्व तुम भी जीवन का मजा ले लो क्योंकि पांच दिन के बाद दुनिया में कोई नहीं बचेगा। तुम भी अपनी पत्नी के पास जाओ और जीवन का मजा लो। तब वह अपनी पत्नी के पास गया और उसके साथ रति क्रिया करने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि रति क्रिया से वंश का बचाव नहीं होगा बल्कि वंश की रक्षा के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर मोहलाइन वृक्ष से एक नाव बनाया और उसमें खाने–पीने का सामान रखा तथा अपने लड़का और लड़की को नाव में बिठाया 5 दिन के अंदर धरती जल मग्न हो गया।

नेताम कुल के लोगों द्वारा तुमड़ी में अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया किन्तु उसमें बच्चे मर गये। धरती पूरा जल मग्न हो गया। मानव का अंश समाप्त होने लगे। तब लाखा राम भीमा के भाई द्वारा चिंता व्यक्त किया गया कि क्या करें, फिर उनके द्वारा 12 मन मैल से कौंवा बनाया गया, किन्तु उनके द्वारा जीवन खोजने में विफल रहा और पानी में गिर कर मर गया। अंत में एक और जीवट कौंवा बनाया गया, जो घूमते–घूमते एक तिनके में बैठा, जहां देखा कि नाव में कुछ लोग बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे थे कि खाना कितने दिन का बचा है, जवाब दिया गया कि 4–5 दिन का खाना बचा है। जिसे सुनकर वह कौंवा उसे बनाने वाले के पास जाकर वह वृतांत सुनाया।

अंत में नाव में एक लड़का और लड़की बचा था किन्तु जब तक आपस में उनमें मेल न हो तो वंश वृद्धि कैसे संभव है चूंकि वे आपस में भाई–बहन के धर्म के कारण पास नहीं आ पा रहे थे जिससे देवता बहुत अधिक परेशान थे व कभी सांप भेज कर तो कभी हिंसक जानवरों को भेजकर आपस में सोने के लिए अनेकों प्रयास किये किन्तु असफल रहे। अंत में तेल चांटी (काटने वाले चिटी) बना कर भेजा गया जिसके काटने के कारण दोनों आपस में एक–दूसरे से मिल गये व चिटी के काटने से दोनों भिंभोरा (मिट्टी का बिम) बने तथा दोनों भिंभोरा से मानव की उत्पत्ति हुई और उसी से कमार की उत्पत्ति हुई।

सोरी कुल के स्त्री व पुरूष मानव भिंभोरा से संतान की उत्पत्ति हुई तथा सोरी कुल के पूर्वज कर्मा और धर्मा के नाम से जाने गये।

कमार जाति के लोग कहीं जा रहे थे, सामने अथाह जल से भरा नदी था, जहां कछुआ और मगर भी था, उनके पास नदी को पार करने की समस्या उत्पन्न हो गयी। लोगों ने मगर और कछुआ से निवेदन किया कि वे हमें नदी पार करावे, लोग दो भागों में बंट गये, मगर एक हिंसक प्राणी है, उसे कसम खिलाया गया कि वह गलत काम न करें। फिर नदी को पार करना शुरू किये आधे लोग कछुआ में बैठ गये और आधे लोग मगर में बैठ गये, नदी में अधिक गहराई देख कर मगर आदतन गहराई की ओर ले जाने लगे डर के कारण मगर में बैठे लोग समुंदर न बोलकर समधी–समधी चिल्ला रहे थे। जिसे देखकर कछुआ में बैठे लोग चिल्लाये व गालियां दिये जिससे मगर सीधे रास्ते चल कर नदी पार कराये, जिससे मगर में बैठे लोग मगर को नहीं मारते उसे अपना गोत्र चिन्ह मानते हैं तथा सोरी गोत्र कहलाये उसी प्रकार कछुआ में बैठे लोग कछुआ को अपना गोत्र चिन्ह मानते हैं तथा उसे हानि नहीं पहुंचाते व इस समूह के लोग नेताम गोत्र कहलाये।

समाज संगठित होने पर बूढ़ादेव और भीमा भी आ गये। फिर समाज का एक महासभा का आयोजन किया गया। नदी पार कर बचे कमार सोरी कुल के 16 स्थानों पर और नेताम कुल के 12 स्थानों पर चले गये थे। उस महासभा में बूढ़ादेव को सभापति बनाया गया। भीमा नेताम कुल को उपसभापति व तुहामेटिया को चपरासी बनाया गया। महासभा में तुहामेटिया के माध्यम से 16 स्थान के सोरी और 12 स्थान के नेताम को बुलावा भेजा और एक स्थान पर एकत्रित हुए, जिस स्थान पर महासभा की बैठक हुई उसे नावमुण्डों कहा गया। इस गांव की देव धामी की पूजा–पाठ की जिम्मेदारी व उसका मालिकाना हक सोरी के 16 भाई को सौंपा गया। उस दिन से वह स्थान उन लोगों के लिए कुल देव स्थान बन गया।

मैनपुर के पास नाउमुड़ा गांव है, इनकी मान्यता है कि इसी गांव में इनकी महासभा आयोजित किया गया था। इसी आधार पर 16 भाई सोरी व 12 भाई नेताम को बिठाया गया।

कमार जनजाति की जनसंख्या –

जनगणना 2011 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य मे कमार जनजाति की जनसंख्या निम्नानुसार है।

क्र.	विवरण	जनसंख्या					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	12954	99.11	13351	99.19	26305	99.15
2.	शहरी	116	0.89	109	0.81	225	0.85
योग		**13070**	**100.00**	**13460**	**100.00**	**26530**	**100.00**

उपरोक्तानुसार राज्य में कमार जनजाति की कुल जनसंख्या 26530 (पुरूष 13070 एवं महिला 13460) है। कमार जनजाति की कुल जनसंख्या राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 0.34 प्रतिशत है।

कमार जनजाति में लिंगानुपात

जनगणना 2011 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य मे कमार जनजाति में लिंगानुपात निम्नानुसार है –

कमार जनजााति मे लिंगानुपात

क्र.	कमार जनसंख्या		
	पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात
1	13070	13460	1030

उपरोक्तानुसार कमार जनजाति मे लिंगानुपात 1030 है। जो राज्य की अनुसूचित जनजाति के कुल लिंगानुपात 1020 से अधिक है।

कमार जनजाति में जनसंख्या वृद्धि दर –

राज्य मे निवासरत कमार जनजाति की जनसंख्या में जनगणना 2001 एवं जनगणना 2011 अनुसार दशकीय वृद्धि निम्नानुसार पायी गई –

जनगणना 2001 की जनसंख्या	जनगणना 2011 की जनसंख्या	दशकीय जनसंख्या का अंतर	2011 मे जनसंख्या वृद्धि दर
23113	26530	3417	14.78

उपरोक्तानुसार कमार जनजाति में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 14.78 प्रतिशत हुई है।

विशेष पिछड़ी जनजाति कमार का मानवशस्त्रीय अध्ययन कमार निवासरत ग्रामों के 121 परिवारों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

परिवार का प्रकार

सर्वेक्षित कमार जनजाति मे परिवार प्रकार का विवरण निम्नांकित है –

सर्वेक्षित कमार परिवारों में परिवार का प्रकार

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त	22	18.18
2	केन्द्रीय	93	76.86
3	एकल	6	4.96
योग		**121**	**100.00**

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 78.86 प्रतिशत परिवार केन्द्रीय परिवार पाये गये।

जनसंख्या

सर्वेक्षित कमार जनजाति मे जनसंख्या का विवरण निम्नांकित है –

सर्वेक्षित कमार परिवारों में जनसंख्या

क्र.	जनसंख्या					
	पुरूष		महिला		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1-	331	51.24	315	48.76	646	100.00

सर्वेक्षित 121 परिवारों की कुल जनसंख्या 646 पायी गयी जिसमें पुरूषों की संख्या 51.24 प्रतिशत तथा महिला 48.76 प्रतिशत है।

शैक्षणिक स्थिति

सर्वेक्षित कमार परिवारों में साक्षरता की स्थिति निम्नानुसार है –

सर्वेक्षित परिवारों में शैक्षणिक स्थिति

क्र.	विवरण	जनसंख्या					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	साक्षर	210	63.44	162	51.43	372	57.59
2	निरक्षर	121	36.56	153	48.57	274	42.41
योग		331	51.24	315	48.76	646	100.00

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में कुल जनसंख्या का 57.59 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये जिसमे पुरूष साक्षरता 63.44 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 51.43 प्रतिशत है।

अध्ययनरत बच्चे वाले परिवार

सर्वेक्षित परिवारों में अध्ययनरत बच्चों वाले परिवारों का विवरण निम्नानुसार है–

अध्ययनरत बच्चे वाले परिवार

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	शालागामी	68	56.20
2	शालागामी विहीन	53	43.80
योग		121	100.00

इनमें 86 बालक एवं 78 बालिका अध्ययनरत है।

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों मे शालागामी बच्चे वाले परिवारों की संख्या 56.20 प्रतिशत है।

==0==

अध्याय 02
भौतिक संस्कृति

कमार जनजाति की बसाहट घने जंगलो , पहाड़ियों एवं तराइयो में नदी नालों के किनारे पायी जाती हैं जो इनके प्रकृति एवं वन संपदा से निकट संबंध को दर्शाता हैं। इनके गांव का कोई निश्चित आकार नही होता है परंतु फिर भी कमार ग्राम गोलाकार , वर्गाकार अथवा आयताकार होता है। इनके ग्रामो मे महुआ , तेंदू , साल , चार, आम, इमली आदि वृक्षो की अधिकता होती है। ग्राम मे आवागमन हेतु छोटी – छोटी पगडंडिया व कच्चे रास्ते होते है। कमार जनजाति परिवारो की बसाहट पहाड़ो के ऊपर भी है जहां के दुर्गम पहाड़ी रास्ते से उन तक पहुंचा जा सकता हैं। पहाड़ो के ऊपर 30 – 40 परिवारो के अनेक ग्राम निवासरत है, जहां इनके आवास फैले हुए है। मैदानी क्षेत्रों के ग्रामों मे नदी, नाले ,कुंआ, हैण्डपम्प आदि पेयजल के स्त्रोत है जबकि पहाड़ी एवं दुरस्थ तथा पहुंच विहिन ग्रामों में झरिया आदि के पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता हैं।

कमार जनजाति का आवास प्रायः फैले हुए और एक–दूसरे से थोड़ी दूरी पर होता है। कमार जनजाति परिवार प्रायः गांवो मे आठ से दस परिवार के घर मिलाकर एक डीह (समुह) बनाकर ग्राम की मुख्य बसाहट से अलग निवास करते है। जिसे ''कमार डीह'',''कमार पारा'',''कमार टोला'' तथा ऊँचाई व पहाड़ो पर बसे हुए घरो के समुह को ''ऊपर पारा'' आदि नामो से जाता है।

आवास निर्माण –

कमार जनजाति के लोग अपने आवास निर्माण मे धार्मिक कर्मकाण्डो एवं अलौकि शक्तियो के प्रति विश्वास का विशेष महत्व है। आवास निर्माण के पूर्व भूमि चयन के समय चिन्हित भूमि पर ग्राम देवता व धरती माता की पूजा दिया (दीपक) अगरबत्ती जलाकर तथा नारियल फोड़कर की जाती है। उक्त स्थान पर चांवल के 21 दानो को रातभर के लिए छोड़ दिया जाता है , दूसरे दिन प्रातः तक चांवल के दाने उसी अवंस्था मे

पाये जाते है तो उक्त भूमि को आवास योग्य मानते हुए भूमि का चयन आवास बनाने के लिए कर लिया जाता है।

कमार जनजाति अपने आवास निर्माण के लिए स्थानीय वन संपदा पर पूर्णतः निर्भर हैं। आवास निर्माण हेतु आवश्यक कच्चा माल, मिट्टी, बांस ईमारती लकड़ी आदि स्थानीय वन से प्राप्त करते है। कमार जनजाति मे आवास स्वयं के द्वारा बनाया जाता है। आवास मे दरवाजा, सेन्हा या आम की लकड़ी से स्वयं बनाते है। दिवाल का निर्माण बांस या लकड़ी को गड़ाकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर किया जाता है। अधिकांश घरों की दिवारे मिट्टी छत खपरैल या घास – फूस की तथा घर के अंदर की फर्श मिट्टी की छबाई कर बनाई जाती है। वर्षा काल मे दिवाले या फर्श मिट्टी निर्मित होने के कारण गिली रहती है तथा वर्षाकाल के समाप्ति के उपरांत भी घर मे नमी बनी रहती है।

आवास

कमार जनजाति का आवास सामान्यतः 1–2 कमरो का होता है। प्रायः घर के सामने एक बरामदा होता है जो झोपड़ीनुमा दिखाई देता है। आवास मे सामान्यतयः एक मुख्य द्वार होता है, आवास में खिड़की रखने जैसी कोई अवधारणा नही है जिसके कारण इनके घर के कमरों में समुचित प्रकाश नही होता है। इनके आवास के एक कमरे के कोनो पर पूर्वज देव का स्थान निश्चित होता है। इस कमरे को '' पीतर कुरिया '' (पूर्वज देव कक्ष) कहा जाता है। कमरे के एक कोने मे अथवा सामने बरामदा मे एक ओर रसोई होता है। घर के दूसरे कमरे को सोने के लिए उपयोग किया जाता है तथा वहां अन्य सामान, कपड़े, बिस्तर आदि रखते हैं। बरामदा के दूसरे हिस्से का उपयोग दैनिक कार्यों व अन्य आगुन्तकों के बैठने के लिए किया जाता है। इनके आवास मे घरेलू उपकरण के रूप में अनाज या धान रखने के लिए पैरा की मोटी रस्सी का बना गहराई युक्त घेरा या बांस की तिलियों से बना गहरा घेरा जिसे मिट्टी से दोनो ओर से लेप कर बनायी गयी धान रखने की ''कोठी'' बांस की टोकनी, सूपा, बांस की ''चाप'' (चटाई) धान कूटने की ''ठेकी'' पानी भरने के लिए मिट्टी व एल्युमिनियम की दो से तीन ''कसेला'' मटकी या गुंडी दो से तीन बिछौने तथा पहनने के कपड़े दाल निकालने के लिए लोहे का ''कलछुल'' (चम्मच)

स्वजातीय अतिथियो के स्वागत हेतु पांव पखारने (हाथ पैर धोने) ''तुमड़ी'' (लौकी को सुखाकर बनाया गया), भोजन रखने के लिए कांसे/पीतल की बटकी थाली एवं कुछ मात्रा मे गिलास, कटोरी, हल्दी मिर्च पिसने के लिए पत्थर निर्मित ''सील लोडहा '' साग बनाने के लिए कड़ाही आदि वस्तुए पायी जाती है। आवास से लगा हुआ एक पशुओ को रखने के लिए लकड़ी निर्मित एक सुरा गोड़ा तथा आवास से लगा एक बाड़ी (शब्जी – भाजी उगाने के लिए) होता है।

आवास की स्थिति

सर्वेक्षित परिवारों में आवास की आधिपत्य की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है–

आवास के आधिपत्य की स्थिति

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	117	96.69
2	स्वयं का नही	4	3.31
योग		121	100.00

तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश परिवारों के पास स्वयं का आवास है।

आवास योजना के आवास की स्थिति –

सर्वेक्षित कमार परिवारों मे शासन की आवास प्रदाय योजनांतर्गत आवास प्राप्ति की स्थिति निम्नानुसार है –

आवास योजना के आवास की स्थिति

क्र.	विवरण	आवास	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	77	63.64
2	नही	44	36.36
योग		121	100.00

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 63.64 प्रतिशत परिवारों को आवास योजनांतर्गत आवास प्राप्त हुई है।

आवास में कक्ष संख्या –

सर्वेक्षित कमार परिवारों के आवास मे कक्षों की संख्या का विवरण निम्नांकित है–

प्रति परिवार औसत कक्ष संख्या

क्र.	सर्वेक्षित परिवार के आवास	कुल कक्ष संख्या	प्रति परिवार औसत कक्ष संख्या
1	121	308	2.55

सर्वेक्षित कमार परिवारों के आवास मे प्रति परिवार औसत कक्ष की संख्या 2.55 पायी गयी।

घर की साफ – सफाई :–

प्रतिदिन महिलाएं सुबह उठकर बांस बाहरी या काटां बाहरी (झाडू) से घर की साफ–सफाई करती है 1–2 दिन मे घर की फर्श को गोबर से लिपाई करती है। चुल्हे से राख आदि निकालकर चुल्हे की सफाई व गोबर पानी से प्रति दिन लिपाई करती है। घर की दिवाल को सफेद अथवा पिली छुही (मिट्टी) से लिपती है। विशेंष अवसरो तीज त्योहारो मे दिवालो की पुताई करते है। दिवालो में आम तौर पर कोई चित्रकारी नही करते किन्तु सावन माह में गांव बनाते है उस समय घर के बाहर कि दिवारो घर गोबर से कुछ विशेष आकृतियां बनाते है। घर से लगा हुआ जानवरो का कोठा होता है। रोज सुबह जानवरो के जाने के बाद स्त्रीयां कोठा की साफ–सफाई गोबर निकालना इत्यादि करती है। विशेष परिस्थितियों में ही पुरूष साफ सफाई का कार्य करते है।

स्त्रियो के माहवारी (मासिक चक्र) होने पर घर, पूजा कक्ष, रसोई एवं कोठा मे प्रवेश वर्जित होता है। इस समय महिलाएं खाना भी नही बना सकती अतः इस समय घर एवं कोठा की साफ सफाई पुरूषो द्वारा की जाती है।

शारीरिक – स्वच्छता साफ–सफाई एवं साज श्रृंगार :–

कमार जनजाति के लोग प्रातः उठकर पानी से आंख मूंह धोते है। दांत साफ करने के लिए बबूल, कर्रा, साल, साजा की पतली टहनी के दांतोन से दांतों की सफाई करते है। तथा बीच से चीरकर इससे जीभ की सफाई करते है।

पास के नदी नाले ,तलाब , कुआं हैण्डपंप आदि मे प्रतिदिन स्नान करते है। ठंड के दिनो मे प्रायः एक दिन के अंतराल मे स्नान करते है शरीर के मैल निकालने के लिए खपरैल (खपरा के तुकड़ा) या पत्थर के तुकड़े से रगड़ते है। वर्तमान मे स्नान के लिए साबुन का उपयोग करने लगे है।

पुरूष एवं बच्चे अपने कपड़े को 2–3 दिनो में एक बार साफ करते हैं महिलाएं प्रतिदिन अपना कपड़ा धोती है। कपड़ा धोने के लिए सर्फ और कपड़ा धोने के साबुन का प्रयोग करते है पूर्व मे चिटचिटा की राख से कपड़ा धोते थे वर्तमान मे कमार लड़के एवं लड़कियां आधुनिक शैम्पू एवं साबुन का प्रयोग नहाने व बाल धोने के लिए करते है। स्नान के पश्चात् नीम, करंज, सरसो, नारियल का तेल लगाकर बालों को कंघी से संवारते है हाथ पैर व शरीर मे भी तेल लगाते है।

वस्त्र विन्यास :–

कमार जनजाति पुरूष वर्ग कमर के नीचे लुंगी पंछा (गमछा) ऊपरी भाग मे बंडी पहनते है कमर के ऊपर का भाग सामान्य खुले होते है। किन्तु वर्तमान मे कई पुरूष,युवक पेंट कुर्ता (र्शट) आदि पहनते हैं कमार स्त्रियां लुगड़ा (साड़ी) और पोलका (ब्लाऊज) पहनती हैं विधवा महिलाएं लुगड़ा कमर से घुटने तक लपेट कर सीने को ढकते हुए कंधे मे डालती है। विवाहित स्त्रियां इससे सिर भी ढक लेती है। कमार बच्चे मे लड़किया,स्कर्ट

कमीज सलवार कुर्ती आदि पहनती है, लडके हॉफ पेंट , फूल पेंट, बनियान, शर्ट पहनते है।

ओढ़ने बिछाने हेतु गोदड़ी, कंबल, चादर का उपयोग करते है। बिछाने के लिए बांस की चाप (चटाई) का उपयोग करते है। वर्तमान समय मे कई घरों में रजाई, गद्दा, पलंग, तखत, रस्सी का खाट का उपयोग करते है।

कमार जनजाति मे वस्त्र एवं धारण कर्त्ता का विवरण निम्नांकित तालिका में दर्शित है :–

कमार सदस्यों द्वारा उपयोग किये जाने वाले वस्त्रों का विवरण

क्र.	नाम	शरीर का भाग (धारण किये जाने वाले अंग)	उपयोगकर्ता
1	फराक	शरीर में	छोटे लड़कियां
2	कुरता	शरीर का ऊपरी भाग	छोटे लड़का, लडके
3	पज्जी	कमर का हिस्सा	लड़के / लड़किया
4	पेंट	कमर के निचले भाग	बड़े लड़के
5	पटका	कमर के निचले भाग	पुरूष
6	धोती	कमर के निचले भाग	पुरूष
7	लंगी	कमर के निचले भाग	पुरूष
8	लंगोटी	कमर में	पुरूष
9	बंडी (बनियान)	शरीर का ऊपरी भाग	पुरूष
10	पगडी (पागा)	सिर के ऊपर	पुरूष
11	लुगड़ा (साड़ी)	शरीर में लपेटकर	स्त्रियां / लड़कियां
12	पोलका (ब्लाऊज)	शरीर के ऊपरी भाग	स्त्रियां

आभूषण :–

कमार जनजाति में महिलाएं एवं अविवाहित युवतियो को साज श्रृंगार एवं आभूषणों के प्रति विशेष लगाव देखा जाता है। शादी ब्याह तीज–त्योहार आदि अवसरो पर आभूषणों, कपड़ों टिकली, बिन्दी, आदि से विशेष बनाव श्रृंगार करती है। इसके लिए सामान्यतः साप्ताहिक हाट – बाजार मे युवतियां एवं महिलाएं गिलेट, पीतल, कांच एवं

प्लास्टिक की रंग–बिरंगी आभूषणों, टिकली, बिन्दी, फिता, फुंदरा आदि के तरफ विशेष आकर्षित होती दिखाई देती हैं। कमार युवतियां/महिलाओं द्वारा धारण किये जाने वाले आभूषणों, निर्मित वस्तुओं का नाम, पहनने का स्थान एवं उपयोगकर्ता का विवरण निम्नांकित सारणी में दर्शित है :–

कमार जनजाति के आभूषणों का विवरण

क्र	नाम	निर्मित धातु	उपयोगकर्ता	पहनने का स्थान
1	2	3	4	5
1	बिछिया	चांदी	स्त्रियां, युवती	पैर की ऊंगली
2	पैरपट्टी	चांदी	स्त्रियां, युवती	पैर
3	मुंदरी	चांदी पीतल गिलट	स्त्री, पुरूष, बच्चे	हांथ की ऊंगली
4	चुड़ी	कांच, प्लास्टिक	स्त्रियां, युवती	हाथ की कलाई
5	चुड़ा	चांदी, गिलट	पुरूष	हाथ में
6	ऐठी	चांदी	स्त्रियां	हाथ में
7	सूता	चांदी	स्त्रियां	गले में
8	रूपिया	डालडा, चांदी	स्त्रियां	गले में
9	खिनवा	चांदी	स्त्रियां	कान में
10	झुमका	पीतल	स्त्रियां	कान में
11	चेन	पीतल, चांदी	स्त्रियां	गले में
12	बाला	पीतल	युवती	कान में
13	फुली	पीतल	युवती/स्त्रियां	नाक में
14	पीन	डालडा, चांदी	युवती/स्त्रियां	बालों में

गोदना :–

कमार जनजाति की महिलाओं में गोदना गुदवाने के प्रति अत्यधिक रूची पायी जाती है। इसे ब्यक्तिगत सौदंर्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। कमार जनजाति के लोगों की मान्यता हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके साथ कोई भी गहना नही जाता किन्तु गोदना ही है जो मृत्यु के पश्चात् शरीर के साथ जाता है इसलिए इनमें गोदना गुदवाने की प्रथा अनिवार्य रूप से पायी जाती है। स्त्रियां इसे अपना स्थायी गहना मानती हैं गादना छोटी उम्र में या विवाह पूर्व गोदाया जाता हैं, तथा इसे अपने माता–पिता की पहचान (निशानी) के रूप मे अपने शरीर पर विभिन्न आकृतियों मे घुटनों के निचे,

हांथों, बांह, नाक, ठुड्डी, में प्रायः गुदवाती है। गोदना कई आकार का जैसे चर्तुभुज, त्रिभुज, त्रिशूल, बिन्दु, क्षैतिज, सामान्तर रेखा, फूल, पत्ते, आदि आकृतियो में गुदवाएं जाते हैं। वर्तमान मे कुछ नवयुवक, युवतियां अपनी हांथों मे गोदना से नाम आदि लिखवाने लगे है। गोदना गोदने का कार्य सामान्यतः देवार जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। जिसे गोदनीन कहा जाता है। इस कार्य के बदले कमार जाति द्वारा सूखा चांवल या नगद पैसा या अन्य वस्तुएं मेहनताना के रूप में दिया जाता है। गोदना गोदवाने का कार्य सामान्यतः अघन, माघ, पूस, फागुन, माह मे किया जाता है।

भोजन बनाने के बर्तन :–

कमार जनजाति के लोग पूर्व में भोजन बनाने के लिए मिट्टी निर्मित हंडी (मटकी) एवं कसैला से भात एवं सब्जी बनाते थे तथा साल एवं सिहारी पत्ता से बने दोना पत्तल मे खाना खाते थे। वर्तमान में भोजन बनाने के लिए मिट्टी, लोहे एल्युमिनियम, स्टील, पीतल के बर्तनो को उपयोग में लाया जाता है तथा खाने –पीने के लिए, स्टील एल्युमिनियम व पीतल के बर्तनो का उपयोग का उपयोग किया जाता है। कमार जनजाति के रसोई घर में उपयोग की जाने वाली बर्तन उनके निर्माण सामग्री तथा उपयोग निम्नांकित सारणी में दर्शायी गई है।

कमार जनजाति के रसोई उपकरण का विवरण

क्र	नाम	निर्मित धातु	उपयोगकर्ता
1	2	3	4
1	हांडी / गुण्डी	मिट्टी / पीतल	पानी भरने
2	तुम्मा	लौकी	पानी निकालने / पीने
3	कड़ाही	मिट्टी / पीतल / एल्युमिनियम	सब्जी बनाने
4	गंजी	एल्युमिनियम	भात बनाने
5	कसेला	स्टील / पीतल	पानी भरने / पीने
6	गिलास	स्टील	पानी पीने
7	चम्मच	स्टील / लकड़ी	भात / सब्जी निकालने
8	कटोरी	स्टील	दाल / सब्जी खाने
9	थाली	स्टील	खाना खाने

कमार जनजाति के लोगो के रसोई मे खाना बनाने के लिए मिट्टी निर्मित उल्टा आकार का चुल्हा होता हैं। जिसमे लकड़ी जलाकर भोजन तैयार करते है। हल्दी मिर्ची मसाले पीसनें के लिए पत्थर से बना सील और लोड़हा होता हैं। इनके कई घरो मे धान से चांवल अलग करने के लिए ''बाहना''(पत्थर में एक गोलाकार गड्डा बनाकर) जमीन मे गड़ा देते है। और लकड़ी का गोल बेलनाकार जो एक सिरे पर लोहे की गोलाकार पट्टी लगी मूसज होता है। इसके अलावा ढेकी होता है जिससे धान से चांवल अलग करने के लिए अपयोग किया जाता हैं

कृषि उपकरण :—

कमार जनजाति परिवार के घरो मे उपरोक्त घरेलू सामानो के अतिरिक्त कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण पाये जाते हैं कृषि कार्य हेतु प्रमुख उपकरणों में खेतो की जुताई के लिए नागर (हल) का उपयोग करते है जो लकड़ी से निर्मित होता है जो लगभग L आकार का होता है। जिसमें बैल या भैसा जोतने के लिए लकड़ी का जुड़ा होता है जिसमे बैल को जोतने के लिए प्लास्टिक या सिहाड़ी के रस्सी का उपयोग किया जाता है, जिसे एक लम्बी लकड़ी की सहायता से नागर से जुड़ा मे जोड़ा जाता हैं। नागर आकार के लकड़ी का बना होता है निचे जिससे जमीन को जोता जाता है वह लोहे से बना होता है। उसे नागर लोहा कहते है। नागर व ड़ाड़ी को बढई से अथवा स्वयं बनता है। तथा नागर लोहे को लुहार से बनवाते हैं नागर लोहे को साधने के लिए लोहे का एक खीला होता है। जिसे ''जेंरू'' कहते है। नागर के बीच का भाग को ''दाब'' कहते है। हाथ के पकड़ने वाले हिस्से को ''मुठिया'' तथा निचे के भाग को ''नास'' काहा जाता है। जिस पर लंबा लकड़ी का बना ''डांड़ी'' होता है जिसमे बैल जोतते (फांदते) है उसे जुंड़ा कहा जाता है। जूंड़ा मे जो छेद होता है उसे ''पंचारी ''कहा जाता है। ''डांड़ी'' के सामने भाग मे खीला लगा रहता है। जूंडे को ''डांड़ी'' से बांधने के लिए ''नाहना''(चमड़ी/खाल) से बना अथवा रस्सी से बना होता है पंचावी के साथ रस्सी लक्ष्का रहता है जिसे ''जोता'' कहते है।

इसके आलावा कृषि कार्य के लिए ''कुदाली'' ''रापा'' ''गैती'' का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गड्ढा खोदने के लिए ''साबर'' (सब्बल) धान की मिसाई के लिए

''बेलन'' दौरी धान से पैरा अलग करनें के लिए तथा कोड़ई (धान से पैरा अलग) करने के लिए ''कलारी'' ''हसिया'' तथा धान मे से भूसा (उड़ाने के लिए) अलग करने के लिए सूपा (सूप) का उपयोग किया जाता हैं धान को रखने के लिए ''बांस'' अथवा पैरा से निर्मित ''बेठ'' उपयोग किया जाता हैं।

जंगल से लकड़ी काटने के लिए ''टंगिया'' (कुल्हाड़ी) कांदा खोदने के लिए ''खूरपी'' का उपयोग किया जाता है।

कमार जनजाति में उपयोग किये जाने वाले कृषि उपकरण का विवरण निम्नानुसार है :–

कमार जनजाति की कृषि उपकरण का विवरण

क्र.	कृषि उपकरण का नाम	निर्माण	उपयोग
1	2	3	4
1	हल (नागर)	लकड़ी व लोहा	खेतों की जुताई
2	फावड़ा	लकड़ी व लोहा	मिट्टी खोदने व समतल करना
3	कुदाली	लकड़ी व लोहा	मिट्टी खोदने
4	हंसिया	लकड़ी व लोहा	फसल कटाई
5	कोपर	लकड़ी	खेत समतल करने
6	बहना, गेटा	चमड़ा, रस्सी	जोतने (फांदने) के लिए
7	गैती	लोहा व लकड़ी	मिट्टी खोदने
8	टंगिया	लोहा लकड़ी	काटने के लिए
9	कलारी	लोहा लकड़ी	धान मिंजाई
10	दौरी	रस्सी	बैल जोंतने
11	बेलन	लकड़ी	धान मींजने

कमार जनजाति में उपयोग किये जाने वाले शिकार उपकरण –

कमार जनजाति में उपयोग किये जाने वाले शिकार उपकरण शिकार उपकरण के रूप में (तीर–धनुष) ''धनऊ–काड़'' का उपयोग किया जाता है जिसमें अलग–अलग,

छोटे–बड़े जानवरों के शिकार के लिए अलग–अलग, भाला आकार का नुकीले तीर, पक्षियों के शिकार के लिए बांस का तीर जिसका शिरा गोलाकार बॉल के समान होता है। मछली मारने के लिए तीन सिरे वाले तीर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शिकार के लिए गुलेल व टंगिया आदि का उपयोग करते हैं।

''धनऊकांड़'' तीर धनुष :–

शिकार के उपकरण मे प्रमुख रूप से कमार जनजाति के लोग धनुष बाण का उपयोग करते है धनुष बाण स्वयं बनाते हैं धनुष दो धामन लकड़ी से बनाते है। इसमें धामन लकड़ी का एक लम्बा आर्च होता है जिसके दोनो सिरे कुछ पतले और बीच का हिस्सा चपट व मोटा होता है। दोनो किनारे पर एक खांच (गड्डा) होता है। जिसपर रस्सी का गोल ''लांद'' लगामे है। धनुष के निचे एक पतली लम्बी बांस का पंछी लगा रहता है जो दोनो सिरे पर ''लांद'' से बंधा होता है।

तीर ''कांड'' तीर का नुकीला हिस्सा लोहे का बना होता है जिसे लोहार से बनवाते है। तीर का शेष भाग को वे स्वयं बनाते हैं। कमार जनजाति के लोग अलग – अलग प्रकार के जानवरो के शिकार के लिए अलग– अलग प्रकार के तीर का उपयोग करते है।

जंगली जानवरों, बड़े जानवरों का शिकार के लिए ''काड़'' का उपयोग करते है जिसके नुकीला सिरा लोहे का बना होता हैं उसमे एक बांस या धामन का बना ''सर'' होता है जिसके पिछे ''गिधवा पांख'' (गिद्ध पक्षी की पंख) को कोसा की रस्सी से बंधा रहता है।

कमार जनजातियों द्वारा प्रयुक्त तीर के प्रकार निम्नानुसार है –

1 बीजो –

चिड़िया मारने के लिए ''बीजो'' का उपयोग करते है जो बांस अथवा धामन लकड़ी का बना होता है, इसे तीर के नुकीले हिस्से के स्थान पर लकड़ी की एक

गोलाकार हिस्सा लगा रहता है जिसे ''फोकनी'' कहते है। यह भी कांड़ का बना होता है किन्तु इसका सिरा गोलाकार लकड़ी का बना होता है।

2 डोहला –

इसका सिरा नुकीला न हो कर फरसा का आकार का होता है। इसका उपयोग मछली मारने के लिए किया जाता है।

3 चोभा –

चोभा का उपयोग बड़ी मछली को मारने के लिए उपयोग किया जाता है यह भी तीर का एक प्रकार होता है इसके लोहे के सिरे मे तीन नुकीले कांटे के आकार की संरचना होनी है और दूसरे सिरे पर जहां पंख लगा होता है। वहां पर एक लम्बी रस्सी बंधी है। बड़ी मछली के शिकार के समय तीर मंछली मे घुस जाता है जिसे तीर में फंसी रस्सी से उसे खीच लिया जाता है।

4 गुठ्ठा (गुलेल) –

गुलेल का उपयोग कमार बच्चों के द्वारा चिड़िया मारने के लिए किया जाता है गुलेल वे स्वयं बनाते है। बच्चे 4–5 वर्ष से ही देख देखकर गुलेल चलाना सीख जाते है। इसमे एक दो सिरे वाले लकड़ी का उपयोग किया जाता है। या लकड़ी को बंसला व बिधंना से खोदकर दो सिरे बनाते है। बाजार से ''नसट्यूब रबर'' खरीदकर दोनों सिरे में रबर को रस्सी या रबर से बांध देते है बीच मे मोटे कपड़े का फत्ती लगाते है।

कमार जनजाति में शिकार करने को बोइयूजाना (छोपरा) कहते है। कमार जनजाति के लोग एकल एवं सामुहिक दोनो ही प्रकार से शिकार करते है। शिकार के लिए वर्ष मे कभी – कभी जाते है जब इनके पास समय होता है। शिकार पर जाने के लिए शाम का समय और ज्यादातर रात मे 8–9 बजे खाना आदि खा कर सभी लोग अपने अपने शिकार उपकरण के साध एक निर्धारित स्थान पर एकत्र होते है। वही पर वे शिकार

पर जाने हेतु दिशा निर्धारित करते है। समुह विभिन्न आवाज निकालकर शिकार को बुलाते हैं और दौड़ाते है, आवाज सुनकर छुपे हुए लोग तीर धनुष से शिकार करते है।

कमार जनजाति के लोग हिरण, खरगोश, चीतल, बटेर, घाघर, कबूतर, पड़की, बाज, कोकड़ा , चिटर (गिलहरी), बन बिलवा आदि का शिकार करते है।

शिकार मे जितना भी मांस मिलता है, उसे पहले साफ करते है फिर शिकार मे हिस्सा लेने वाले सदस्यों में बराबर बंटवारा करते है। कुछ जगहो पर जिसके तीर से बड़ा जानवर मरता है। उसे मांस का एक विशेष हिस्सा खासकर सामने की एक भूजा जिसे ''बियू'' कहते है देते है। कौवां गिद्ध और चील का मांस नही खाते क्योकि ये तीनो गाय व मवेशीयो का मांस खाते है।

शिकार के उपकरण में धार करने के लिए ''निस्नोपुखान'' टेंवना पथरा का उपयोग करते है इसे ये बाजार से खरीदते है इसे ये अपने सभी प्रकार के हथियारो में धार करते है।

कमार जनजाति में शिकार उपकरण का विवरण

क्र.	विवरण	निर्माण की वस्तुएं	उपयोग
1	2	3	4
1	तीर कमान	बांस, रस्सी, लोहा	खरगोश, हिरण, सुअर का आदि बड़े जानवरों का शिकार
2	चीक	महुए का गोंद	पक्षी पकड़ने
3	तार का जाल	तार	पक्षी, खरगोश
4	जाल	नायलोन धागा	पक्षी व मछली पकड़ने
5	गुल्ले	रस्सी, बांस+रबर	पक्षी मारने
6	फटका	नायलोन धागा	पक्षी पकड़ने

मछली पकड़ने का उपकरण

कमार जनजाति के लोग वर्षा ऋतु में नदी–नाले, तालाबों में स्वयं के उपयोग हेतु मछली पकड़ते हैं, इसके लिए ''जाल'', ''चोरिया'' गरी ''गड़नी'', झोकनी, दांदर, थांपा जो बांस से निर्मित होता है, का उपयोग करते हैं।

छोटे–छोटे पक्षियों को गुलेल से शिकार करते हैं जिसमें मिट्टी की छोटे–छोटे गोले अथवा पत्थर के तुकड़े का उपयोग करते हैं।

मछली पकड़ने का उपकरण

क्र.	विवरण	निर्माण की वस्तुएं	उपयोग
1	2	3	4
1	चोरिया	बांस, रस्सी	मछली पकड़ने
2	दादर	बांस, रस्सी	
3	तीर	लोहा व बांस	
4	बीटो	लकड़ी व बांस	
5	झारा	बांस	
6	गरी	रस्सी, बांस लोहा	

अन्य वस्तुएं :–

घरेलू उपयोग के अन्य वस्तुओं में बांस से निर्मित ''चाप'' (चटाई) ''सूपा'' ''टुकना'' ''टकनी'' ''बाहरी'' ''झाड़ू'' ''डूटी'' (मछली रखने का पात्र) ''खुमड़ी'' (बरसात में सिर पर ओढ़ने के लिए) आदि होता है। इसके अतिरिक्त वाद्य यंत्रों में ''तुमड़ी'' ''ढोलक'' ''किरकिचा'' आदि । कई कमार युवक बांसुरी भी बजाते हैं।

अग्नि प्रज्जवलन के उपकरण :–

कमार जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का उपयोग करते हैं। इसमें एक लोहे के टुकड़े को चकमक पत्थर से रगड़ कर उससे चिंगारी निकालते हैं। रगड़ने से उत्पन्न चिंगारी के रूई में पड़ने से आग उत्पन्न हो जाता है।

दूसरी विधि में बांस के दो टुकड़े लेते हैं, जिसमें से एक को बीच से फाड़ लेते हैं और बीच में एक लकड़ी फंसा देते हैं, उसे जमीन पर पैरा या सूखी घांस के ऊपर रखते हैं फिर दूसरे बांस से पहले वाले बांस के बीच में फंसाकर जोर से रगड़े हैं, जिसमें घर्षण के कारण लकड़ी का बुरादा एवं आग की चिंगारी निकलती है जो सूखे घांस या पैरा में गिरता है जिसे फूंक मारकर सुलगा लिया जाता है। वर्तमान समय में आग जलाने हेतु माचिस का उपयोग करते हैं।

आवागमन के साधन –

कमार जनजाति के लोग कहीं आने–जाने, हाट बाजार या वनोपज एवं आवश्यक वस्तुओं के क्रय–विक्रय हेतु आवागमन के लिए पैदल या सायकल ही प्रमुख साधन था किन्तु वर्तमान समय में सड़कों के विकास एवं परिवहन के साधनों में वृद्धि होने से मोटर सायकल, जीप, बस ट्रक, ट्रैक्टर आदि का उपयोग करने लगे हैं।

भोजन –

कमार जनजाति में मुख्य भोजन, चांवल, कोदो माड़िया का पेज एवं चांवल से निर्मित बासी है, सुबह उठकर रात का बचा हुआ भात को पानी में डुबाकर सुबह, चटनी या अचार के साथ खाकर काम पर या जंगल चले जाते हैं, दोपहर को चांवल से भात व सब्जी बनाकर खाते हैं, ये रोटी (गेंहू) का उपयोग बहुत कम करते हैं, सब्जियों में अधिकतर स्वयं के बाड़ी से लौकी, कुम्हड़ा, भटा, भिण्डी, सेमी, बरबट्टी, तोरई, डोड़का मौसमी सब्जियों उपयोग करते हैं। जंगली साक–भाजी में चरोटा, भाजी, कोलियारी, अमटी भाजी और कई अन्य खाने योग्य भाजी का उपयोग करते हैं, वनों से कई प्रकार के फुटू (मशरूम) बोड़ा, सवनाही फुटू आदि खाते हैं। मांशाहार में विभिन्न प्रकार के मछली, पक्षी, मोर, बगुला, खरगोश, तीतर, पड़की, हिरण, गिलहरी, चूहा, जंगली मुर्गा, जंगली सुअर आदि को खाते हैं।

विभिन्न तीज त्यौहारों के अवसर पर दाल भात और बकरा मुर्गा, सुअर के मांस पकाकर खाते हैं। कमार जनजाति के लोग प्रातःकाल या शाम के समय चाय पीते हैं चाय

बिना दूध का (काली चाय) पीते हैं। इसके अतिरिक्त महुआ से महुआ का लड्डू तथा लाटा बनाकर विभिन्न अवसरों में खाते हैं।

मादक पदार्थों का उपयोग –

कमार जनजाति में महुंए की शराब उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न संस्कारों, उत्सवों, पूजा–पाठ, धार्मिक संस्कार, अतिथि सत्कार एवं विभिन्न अवसरों पर महुंए का शराब का उपयोग होता है। वनों से महुआ एकत्र कर स्वयं ही शराब बना लेते हैं। परिवार के सभी सदस्य, स्त्री–पुरूष एवं बच्चे इसका उपयोग करते हैं। कमार पुरूष बाजार से तम्बाखू खरीद कर सरई व तेंदू पत्ते में लपेटकर बीड़ी ''चोंगी'' बना कर पीते हैं। कुछ लोग तम्बाखू को चुने के साथ रगड़ कर खाते हैं। वर्तमान में बाजार से गोला बीड़ी, मेघना बीड़ी, तीर बीड़ी आदि खरीदकर भी उपयोग करते हैं। ये दूध का उपयोग नहीं करते हैं, जिसके संबंध में इनमें मान्यता है कि दूध पर बछड़े का हक होता है, अतः इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़ाखू सिगरेट व तम्बाखू का सेवन भी मादक पदार्थ के रूप में करते हैं।

माहवार कार्य का विवरण

कमार जनजाति की अर्थव्यवस्था बांस बर्तन, निर्माण, वनोपज संग्रहण, कृषि मजदूरी पर आधारित है। इनके वार्षिक क्रियाकलापों को निम्नानुसार समझ सकते हैं –

असाड़	–	धान बुवाई (धान, कोदो, कुटकी, मूंगफली)
सावन	–	ब्यासी
भादो	–	निदाई (प्रथम)
क्वांर	–	निदाई (दूसरी)
कार्तिक	–	धान कटाई (बौना किस्म)
अगहन	–	धान कटाई (बड़े धान)

पूस	–	धान मिसाई रवि फसल की तैयारी
माघ	–	धान मिसाई (रोपा+बोंता)
फागुन	–	खेत गहरीकरण, गोदी माटी, भूमि सुधार कार्य महुआ बीनने का कार्य, चार, तेंदू इकट्ठा करना
चैत्र	–	बांस बर्तन का कार्य (असाड़ माह में धान बोंवाई शुरू होने तक करते हैं।)
बैसाख	–	तेंदूपत्ता तोड़ने का कार्य।
जेठ	–	अक्ती का नया साल मनाते हैं। (जेठ के पंद्रहवां दिन अक्ती)

अध्याय 03
सामाजिक संरचना

सामाजिक संरचना किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था का प्रकार्यात्मक पहलू है जो अनेक ईकाईयों से मिलकर बना होता है। ये इकाईयां क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर किसी भी समाज का सामाजिक संगठन का निर्माण करता है, जिसे उसका सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना में जाति, गोत्र, नातेदारी, परंपराएं, प्रथाएं विश्वास, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्थाएं आदि सम्मिलित होती हैं। सामाजिक संरचना स्थायी प्रकृति की होती है जिसमें परिवर्तन नगण्य अथवा अत्यंत धीमी गति से होता है। सामाजिक संरचना में अत्यंत धीगी गति से परिवर्तन होता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना सामाजिक इकाईयों, समूहों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों की प्रस्थिति एवं भूमिका क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होता है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की सामाजिक संरचना की विवेचना निम्नानुसार किया जा सकता है –

जाति –

कोई भी समाज जाति के रूप में विभिन्न खण्डों में विभाजित होता है, यह एक गतिशील अवस्था है। इनकी सदस्यता जन्म पर आधारित होता है जो अपने समुदाय के सदस्यों पर खान–पान, विवाह, पेशा, सामाजिक सहवास संबंधी अनके प्रतिबंधों के माध्यम से नियंत्रित होता है। जाति अपने सदस्यों को एक विशिष्ठ सामाजिक प्रास्थिति प्रदान करता है, जिसमें आजीवन परिवर्तन संभव नहीं होता। जातियों में जातिगत विशिष्ठता के आधार पर उच्चता एवं निम्नता तथा जातियों में सामाजिक दूरी पाया जाता है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति प्रमुखतः दो उपजातियों बुंदरजीवा एवं पहारिया/पहारपटिया में विभक्त है। मैदानी क्षेत्र के जंगलों में निवास करने वाले कमार ‘‘बुंदरजीवा‘‘ तथा घने जंगलों एवं पहाड़ियों में निवास करने वाले पहारिया/पहारपटिया कमार कहलाते हैं।

गोत्र –

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति विभिन्न गोत्र समूहों में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र का एक गोत्र चिन्ह (टोटम) पाया जाता है। जैसे नेताम गोत्र का टोटम कछुआ, कुंजाम का बकरा तथा सोरी का टोटम मगर आदि है। एक गोत्र के सदस्य आपस में एक ही पूर्वज से उत्पन्न मानते हैं अतः वे आपस में रक्त संबंधी होते है । प्रत्येक गोत्र समूह गोत्र बहिर्विवाही समूह है जो किसी विशिष्ठ देवी–देवता को अपना प्रमुख देव मानते हैं। जिसकी वे वार्षिक पूजा–पाठ करते हैं।

गोत्र की उत्पत्ति की अवधारणाएं –

कमार जनजाति में गोत्र की उत्पत्ति के संबंध में अनेक लोग कथाएं प्रचलित है, जिसमें एक लोककथा अनुसार एक बार महादेव जी द्वारा श्रृष्टि के निर्माण के पश्चात जलप्लावन हुआ, जिसमें संसार चारों ओर से जलमग्न हो गया। कमार का निवास स्थान भी जल से भर गया था। जल का स्तर इतना अत्यधिक था कि, वहां से तैर कर पार कर पाना संभव नही था। अतः जलराशि को पार करने के लिए सहारे की तलाश करते हुए कुछ कमार जनजाति के सदस्य कछुए के सहारे उसके पीठ पर सवार होकर जल स्तर को पार किये। वह नेताम (कछुआ) गोत्र कहलाये इस गोत्र के लोग कछुए को अपना गोत्र चिन्ह मानते है तथा उसको मारते अथवा खाते नही है। उसी प्रकार कमार जनजाति के कुछ सदस्य मगरमच्छ के पीठ पर सवार होकर जलराशि को पार करने का प्रयास किए किन्तु बीच में मगरमच्छ को भूख लगी तो मगरमच्छ ने अपनी पीठ पर सवार लोगों को खाने का प्रयास किया जिससे वे भयभीत होकर पानी में कुदने लगे उनमें से कुछ लोगों को मगरमच्छ ने खा लिया तथा कुछ लोग भागने में सफल हो गये जो भाग कर कछुए के पास पहुंचे एवं उससे पार कराने के लिए मदद की प्रार्थना की कछुए ने उनकी मदद की वे मरकाम गोत्र कहलाए। ये लोग भी कछुए को हानि नही पहुंचाते है। कुछ लोग जंगली लताओं के सहारे जल स्तर को पार किये व सोरी गोत्र कहलाए।

एक सोरी स्त्री गर्भवती हुई जिससे दो पुत्र उत्पन्न हुए जिसमें से एक शेर तथा दूसरा सर्प थे। इस प्रकार सोरी के दो वर्ग देखने को मिलते है एक बाघ सोरी और दूसरा नाग सोरी। उसी समय एक वृद्ध अपने पुत्र हेतु पुत्र वधू लाया था किन्तु उन्हे भी जल की भिषणता के कारण भागना पड़ा एक दिन उसके पुत्र वधू आंगन साफ कर रही थी उसी समय बुढ़ा देव का बकरा वहां पहुंचा उससे उत्पन्न संतति कुंजाम गोत्र कहलाए। कमारों का एक समूह वनों मे घुमते हुए मिला जिसके कारण वह जगत गोत्र कहलाए। कुछ कमार जनजाति के लोग भूख और थकावट से परेशान होकर मरे हुए जानवरों का मांस खा लिए वह मरई गोत्र कहलाए। अंत में जलमग्न अवस्था समाप्त होने के पश्चात बच्चों का एक समूह असहाय अवस्था में पाया गया जो छेदईहा गोत्र कहलाए।

कमार जनजाति प्रमुख रूप से सात बहिर्विवाही गोत्र समूहों में विभक्त है –

1. जगत
2. नेताम
3. सोरी
    i. बाघ सोरी
    ii. नाग सोरी
4. मरई
5. मरकाम
6. कुंजान
7. छोदइहा

कमार जनजाति में सोरी गोत्र के लोग 16 गोत्र भाइयों में एवं नेताम गोत्र 12 भाईयों में विभाजित है –

सोरी गोत्र – सोरी गोत्र के 16 भाईयों का विवरण निम्नानुसार है –

1. नाग राडिया	–	पहाड़ से संबंधित नगरार
2. कुड़हार गाडिया	–	कुल्हाड़ी घाट से

3. खटौया	—	खटुआ
4. कावडांबिया	—	कांवर आमा
अ. कोसममुड़िया शाखा		
ब. गोडोनिया शाखा		
5. सेवाया	—	सिहार
6. कोलोहिया	—	खोला
7. सिंघुलिया	—	छिंदौला
8. गोदोड़िया	—	बोदल कन्हार
9. ओड़िया	—	ओढ़
10. आंबामोरिया	—	आमामौरा
11. गोबोरिया	—	गोबरा
12. पांडरिया	—	पेण्ड्रा
13. धोलिया	—	पेण्ड्रा (रावणडिग्गी)
14. नईपानिया	—	नरीपानी (काठफाड़िया, जोजे)
15. भातसिविया	—	भातसिव पहार
16. जरण्डिया	—	जरण्डीह

नेताम गोत्र – नेताम गोत्र के 12 भाईयों का विवरण निम्नांकित है –

1. देवडोंगरिया (बाम्हनदेविया)	—	देवडोंगर (उच्च)
2. टोहामेटिया	—	तूहामेटा
3. डंडईपानिया	—	डड़ईपानी
4. कोटोनिया	—	हरदीबाय (अच्छाछड़का)
5. टोरीभुईया	—	टोरीभुई
6. माविया	—	सातमार (विलुप्त ग्राम)
7. बोमकाडोनिया	—	हर्राभतका (कोसमी)
8. आमझरिया	—	सातमार (विलुप्त ग्राम)

9. तिरवायवा – विलुप्त ग्राम

10. वाडदिघिया – भालू डिग्गी

11. साराझरिया – ताराझर

12. कुकड़ादिया – कुकरार

कमार जनजाति में गोत्र कुल उनके निवास स्थान/क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। उनके निवास क्षेत्र के आधार पर कमार जनजाति के गोत्र का पता चलता है।

परिवार –

कमार जनजाति में परिवार एकल, संयुक्त तथा विस्तृत प्रकार के पाये जाते हैं। परिवार में पति–पत्नी एवं उनके अविवाहित एवं विवाहित संतान एवं उनके बच्चे निवास करते हैं। जो आपस में रक्त संबंधी अथवा विवाह संबंधी होते हैं। कमार जनजाति में अधिकांश केन्द्रीय अथवा एकल परिवार पाये जाते हैं। संयुक्त एवं विस्तृत परिवारों की संख्या बहुत कम पायी जाती है। विवाह के पश्चात पुत्र अपनी पत्नी के साथ अलग घर/झोपड़ी बनाकर रहने लगता है तथा कृषि, शिकार एवं वनोपज संग्रहण का कार्य साथ में करते हैं तथा उनसे प्राप्त आय को आपस में बांट लेते हैं। धीरे–धीरे कृषि भूमि का भी आपस में बंटवारा कर लेते हैं। बांस बर्तन बनाने का कार्य वे स्वतंत्र रूप से करते हैं। इनमें पारिवारिक स्नेह माधूर्यपूर्ण होता है।

कमार जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय होता है, जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है, परिवार में अहम फैसला पिता द्वारा लिया जाता है। परिवार में वंश पुरूष के नाम पर तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को हस्तांतरित होता है। कमार जनजाति एकल विवाही परिवार होता है किन्तु किसी–किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां होती है। ग्रामों में अधिकांश परिवार एक–दूसरे के संबंधी होते हैं, क्योंकि पूर्व में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर परिवार विघटित होकर परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अधिकांश कमार जनजाति परिवार केन्द्रीय प्रकृति के होते हैं जिसमें पति–पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं अतः बच्चों की संख्या परिवार का आकार को निर्धारित करती है।

पारिवारिक संबंध –

प्रत्येक समाजों में बच्चों के लिए परिवार प्रथम पाठशाला होता है। जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास होता है जो हमेशा व्यक्ति, परिवार व समाज के लिए हितकारी होता है। कमार जनजाति में परिवार के सभी सदस्य आपस में एक–दूसरे के प्रति लगाव, स्नेह व सम्मान की भावना निहित होती है। सभी सदस्य एक–दूसरे की सुरक्षा, सहयोग एवं मार्गदर्शन करते हैं। कमार जनजाति परिवार में विभिन्न सदस्यों के संबंध को निम्नानुसार समझ सकते हैं।

1. माता–पिता –

बच्चे के जन्म के पश्चात् बच्चे की देखभाल, पालन–पोषण, दैनिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, माता–पिता द्वारा दी जाती है। बच्चे के विवाह योग्य होने पर उसका विवाह संस्कार कर उसके गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित करने एवं मार्गदर्शन करते हैं तथा उनकी निगरानी करते हैं।

2. पति–पत्नी –

कमार जनजाति में पति–पत्नी का संबंध मधुर प्रेममय तथा दायित्वपूर्ण होता है जो एक–दूसरे की दायित्वों का निर्वहन, जिम्मेदारी से करते हैं। परिवार के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पति–पत्नी मिलकर प्रयत्न करते हैं। पत्नी परिवार की दैनिक कार्यों, घर की साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल, भोजन बनाने, वन से लकड़ी लाना तथा कृषि एवं वनोपज संकलन में सहयोग करती है। पति–पत्नी मिलकर घर के वृद्ध सदस्यों, माता–पिता की देखभाल एवं सेवा करते हैं।

3. पिता–पुत्र –

पिता–पुत्र का संबंध स्नेहपूर्ण, अनुशासन व नियंत्रण का होता है। पिता–पुत्र को अजीविका, कृषि, पशुपालन एवं संकलन आदि कार्यों में प्रशिक्षित करता है। पुत्र पिता के प्रति आदर का भाव रखता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है तथा वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करता है।

4. पिता–पुत्री –

पिता–पुत्री का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। पिता–पुत्री को पुत्र से अधिक स्नेह रखता है तथा किशोरावस्था से ही उसे भावीजीवन की शिक्षा देता है। विवाह योग्य होने पर योग्य वर तलाश करके पुत्री का विवाह कर उसकी सुखी जीवन की मंगलकामना करते हैं।

5. माता–पुत्र –

माता–पुत्र का संबंध वात्सल्यपूर्ण एवं आत्मीय होता है। माता का पुत्र के प्रति भावनात्मक लगाव पुत्री की अपेक्षा अधिक रहता है। माता–पुत्र का लालन–पालन व देखभाल बड़े मनोयोग से करती हैं, उसे परिवार एवं समाज के नियमों एवं परंपराओं की शिक्षा देती है। पुत्र माता की आज्ञा का पालन करता है तथा श्रद्धा से माता की देखभाल करता है।

6. माता–पुत्री –

माता–पुत्री का संबंधी वात्सल्यपूर्ण होता है। माता बचपन से ही पुत्री को घरेलू कार्य सिखाती है। पुत्री को माता परायाधन समझकर सामाजिक संस्कार परंपरा तथा ससुराल में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने एवं नये परिवेश में ढलने हेतु सुशिक्षित करती है। माता–पुत्री के बीच मित्रवत व्यवहार होता है।

7. भाई–भाई –

भाई–भाई के मध्य प्रेमपूर्ण एवं मित्रवत संबंध होता है। छोटा भाई, बड़े भाई का आदर व सम्मान करता है जबकि बड़ा भाई छोटा भाई के प्रति स्नेह भाव रखता है पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्वों का साथ मिलकर निर्वहन करते हैं। विवाह उपरांत भाई–भाई में स्नेह बना रहता है किन्तु कुछ परिवारों में तालमेल नहीं होने के कारण सम्पत्ति विवाद के फलस्वरूप तनाव बना रहता है।

8. भाई – बहन –

भाई – बहन का संबंध स्नेह पूर्ण होता है, वे साथ–साथ खेलते व सीखते हैं। बड़े भाई – बहन, छोटे भाई–बहन का देखभाल करते हैं। विवाह पश्चात भाई–बहन का संबंध यथावत बना रहता है एक–दूसरे की सुख–दुख का ख्याल रखते हैं।

9. बहन–बहन –

बहनों के मध्य आपस में प्रेमपूर्ण संबंध होता है। बड़ी बहन छोटी बहन को घरेलू कार्य सिखाती है व छोटी बहन, बड़ी बहन के कार्यों में सहयोग करती हैं।

10. सास–बहू –

सास–बहू के मध्य सम्मान, आदर, अपेक्षा व कर्तव्य का संबंध होता है। सास–बहू से अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाने, आदर व सम्मान की अपेक्षा रखती है। दोनों की आपसी ताल–मेल से ही पारिवारिक जीवन सुखमय व अच्छा रहता है।

11. ससुर–बहू –

बहु–ससुर का आदर व सम्मान का संबंध होता है।

12 देवर–भाभी –

देवर भाभी के मध्य परिहास संबंध होता है, इनके बीच संबंध मित्रवत व स्नेहपूर्ण

13. ननद – भाभी –

ननद भाभी का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। विवाह पश्चात ननद भाभी का संबंध अधिक मधुर हो जाता है। दोनों एक–दूसरे की आवश्यकता एवं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न करते हैं।

कमार जनजाति में पारिवारिक संबंध मजबूत होता है, प्रत्येक सदस्य एक–दूसरे का ख्याल रखते हैं, आपस में आदर–सम्मान व कर्तव्य का भाव रहता है।

नातेदारी –

कमार जनजाति में जन्म व विवाह आधारित नातेदारी व्यवस्था होती है जो कि उन्हें जन्म व विवाहोपरांत प्राप्त होती है। नातेदारी व्यवस्था में कोई भी सदस्य अनेक व्यक्तियों अनेक संबंधों या नातेदारी से जुड़ जाता है। व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था में बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अनेकों नये–नये नातेदारी में जुड़ता जाता है। कमार जनजाति में नातेदारी व्यवस्था निम्नानुसार है :–

नातेदारी का प्रकार

कमार जनजाति में नातेदारी संबंध दो प्रकार की होती है –

1. रक्त संबंधी –

रक्त संबंधी नातेदारी से आशय उन संबंधियों से है जो एक–दूसरे से रक्त संबंध के आधार पर जुड़े हों, जैसे – माता–पिता, भाई–भाई, भाई–बहन आदि।

2. विवाह संबंधी –

विवाह संबंधी नातेदारी से आशय ऐसे संबंधियों से है जो एक–दूसरे से विवाह संबंध द्वारा जुड़ा होता है जैसे – पति–पत्नी, सास–ससुर, जीजा–साला आदि।

नातेदारी श्रेणी –

कमार जनजाति में नातेदारी श्रेणी को निम्नानुसार समझ सकते हैं –

1. प्राथमिक संबंधी –

जो संबंधी आपस में एक–दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, प्राथमिक संबंधी कहलाते हैं। जैसे – पति–पत्नी, पिता–पुत्र, बहन–बहन, भाई–भाई, भाई–बहन आदि।

2. द्वितीयक संबंधी –

ऐसे संबंधी जो किसी व्यक्ति का प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी हो, अर्थात् व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी उस व्यक्ति का द्वितीयक संबंधी होता है। जैसे – चाचा–भतीजा एक–दूसरे के द्वितीयक संबंधी है क्योंकि चाचा का भाई भतीजा का पिता आपस में प्राथमिक संबंधी है।

3. तृतीयक संबंधी –

किसी व्यक्ति का द्वितीयक संबंधी का प्राथमिक संबंधी उस व्यक्ति का तृतीयक संबंधी होता है।

नातेदारी शब्दावली –

कमार जनजाति में एक विशिष्ट नातेदारी शब्दावली पायी जाती है। इनमें विभिन्न नातेदारों को भिन्न–भिन्न संबोधनों से संबोधित करते हैं। कमार जनजाति में नातेदारी शब्दावली निम्नानुसार है –

क्र.	संबंध	संबोधन (नातेदारी शब्दावली)
1	पिता	बाबा / बाबू
2	माता (मां)	इटाया (आई)
3	भाई	दादा (भैया)
4	छोटे भाई	लोना (ईदली)
5	बहन	बहिन / दीदी
6	पिता के भाई	काका
7	पिता के बड़े भाई	बड़े बाबा

8	पिता के बहन	आता, मामी, दीदी
9	पिता के बहन का पति	आता / मामा
10	मां के भाई	आताता
11	मां के भाई की पत्नी	आता
12	पति	कडहो / डोकरा
13	पत्नी	नेक / डोकरी (घरवाली)
14	माता की बहन	मौसी
15	बेटा	बेटा, नोना
16	नाती	नातू
17	नतनीन	नातिन
18	पुत्र की पत्नी	भांची, बोहार
19	पुत्री की पति	जंवाय, बाबू भांचा
20	बहन के पुत्र	भांचा
21	बहन के पुत्री	भांची
22	पत्नी के भाई	सारा
23	पत्नी की बहन	सारी
24	बड़ी बहन के पति	भांटो
25	बड़ी बहन	दीदी
26	पत्नी के पिता	मामा, आता, ससुर
27	पत्नी के माता	मामी आता
28	पत्नी के बहन का पति	साढ़ू / साडू
29	पिता के पिता	डोकरो बाब / दादी
30	पिता के माता	डोकरो बाबा, बापी डोकरी दाई
31	माता के पिता	आजू / दादी
32	माता के माता	आजू बाई
33	पिता के भाई की पत्नी	काकी

परिहास तथा परिहार संबंध

कमार जनजाति में कुछ संबंधियों के मध्य विशिष्ठ नातेदारी रीतियां प्रचलित है जिसे परिहास व परिहार संबंध कहते हैं।

(अ) परिहास संबंध –

कमार जनजाति में कुछ नातेदारी के मध्य परिहास संबंध पाये जाते हैं। कुछ विवाह संबंधियों में हास–परिहास के संबंध के कारण उनके आपसी संबंध मधुर हो जाता है जो उनके रिश्तों के मध्य निकटता व मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार के संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त है जो उनके भविष्य की सम्भावना को दर्शाता है। कमार जनजाति में निम्नांकित परिहास संबंध पाये जाते हैं –

1. देवर – भाभी
2. जीजा – साला/साली
3. समधी – समधन
4. नाना/नानी – नाती/नातिन
5. दादा/दादी – नाती/नातिन

(ब) परिहार संबंध –

कमार जनजाति में परिहास संबंध के विपरीत कुल नातेदारों के मध्य परिहार संबंध पाया जाता है इनमें कुछ वैवाहिक संबंधियों को पारिवारिक व सामाजिक दृष्टि से एक–दूसरे से सामान्य व्यवहार में दूरी बनाया जाता है। उनके मध्य प्रत्यक्ष बातचीत नहीं होती। एक–दूसरे को स्पर्श करना वर्जित होता है, इन संबंधियों को अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना पड़ता है। कमार जनजाति में परिहार संबंधी निम्नानुसार है –

1. जेठ – बहू
2. ससुर – बहू
3. सास – दामाद
4. दामाद – डेढ़ सास

सम्पत्ति का अधिकार –

कमार जनजाति में सम्पत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्र को होता है। अर्थात् पितृसत्तात्मक होता है। पुत्र की उपस्थिति में पिता की सम्पत्ति का अधिकार पुत्र को होता है। एक से अधिक पुत्र की स्थिति में सम्पत्ति का हिस्सा पुत्रों की संख्या से एक अधिक (पिता के स्वयं के लिए) होता है। पिता के हिस्से की सम्पत्ति का उत्तराधिकार उसका पालन–पोषण करने वाले पुत्र का होता है।

पुत्रियों की स्थिति में एक से अधिक पुत्रियों की स्थिति में उसकी एक पुत्री को अपने पास लमसेना के रूप में रखते हैं और वह उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। कमार जनजाति में प्राथमिकता के आधार पर छोटी पुत्री को लमसेना के रूप में रखते हैं।

==0==

अध्याय 04
जीवन चक्र

कमार जनजाति का जीवन जन्म से मृत्यु तक विभिन्न सामाजिक संस्कारों से बंधा होता है। जो जन्म, विवाह और मृत्यु से जुड़ा होता है। प्रत्येक समाजों में इन संस्कारों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों एवं रीति–रिवाजों को मानते हैं। विभिन्न समाजों में इन अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए कुछ निश्चित एवं मूलभूत नियमों को माना जाता है, जिसे जीवन संस्कार कहते हैं। कमार जनजाति में प्रचलित जीवन संस्कार का विवरण निम्नानुसार है–

कमार जनजाति में लड़ियों में मासिक धर्म प्रारंभ (मुण्डेपानी पड़ियो) होने पर उसे विवाह योग्य माना जाता है। मासिक धर्म में 5 दिनों तक लड़कियों को अपवित्र माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान फल–फूल वाले पेड़, आस–पास के देवालय, घर के चूल्हा–चौका, कोठा आदि में जाना वर्जित रहता है। इस दौरान पीने के पानी के स्थान पर जाना व पानी लाना वर्जित है। 5 दिन के पश्चात् तालाब में सिर के बाल को मिट्टी अथवा साबुन से धोकर व कपड़े इत्यादि को साफ करते हैं। तत्पश्चात उसे पवित्र माना जाता है फिर उस दिन से वह घर के समस्त कार्यों में सहभागी होती है।

लड़कों में शारीरिक बनावट, दाढ़ी–मूंछों के आधार पर तथा परिवारिक जिम्मेदारी एवं अर्थोपार्जन में सहयोग के आधार पर उसे विवाह योग्य माना जाता है।

जन्म संस्कार

कमार जनजाति में विवाह पश्चात महिला का मासिक धर्म रूक जाने पर उसे गर्भवती माना जाता है। प्रसव का कार्य स्थान की उपलब्धता के आधार पर मुख्य आवास के बाहर किया जाता है। प्रसव के लिए ''सुईन'' या अपने ही जाति की बुजुर्ग एवं जानकार महिला द्वारा प्रसव कराया जाता है। नाल ''बोमला'' काटने का कार्य नानी या

विपरीत गोत्र की महिला द्वारा किया जाता है। बच्चे की नाल, चाकू अथवा छुरी से, कहीं–कहीं पर बांस की पतली पत्ती से काटा जाता है। इस जनजाति में लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता। ''नार फूल'' नाल को जल्दी सूखने अथवा जल्दी झड़ने के लिए घर के पिछवाड़े में गड्ढ़ा खोदकर दबा देते हैं। नार बेल वाले स्थान पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं। उसी पत्थर पर बैठ कर प्रसूता छठी एवं बरही तक नहाती है। छठी कार्यक्रम छठे दिन या नाल गिरने के बाद मनाते है। मुख्य रूप से नाल को छुआ मानते हैं, अर्थात छठी तक छुआ रहता है, छठी के बाद ही पिता अपने बच्चे को गोद लेता है।

छठी के दिन सोनवान (समधी पक्ष) द्वारा बच्चे के सांवर बली (बच्चे के प्रथम बाल) को साफ कर बच्चे के संपूर्ण शरीर में हल्दी का लेप लगाया जाता है। यह कार्य महिलाओं के द्वारा कराया जाता है। बच्चे के मुण्डन के पश्चात बच्चे को नहलाते हैं। छठी के दिन बच्चे को उसके मामा पक्ष द्वारा लाया गया नया कपड़ा पहनाते हैं, फिर डूमा के नाम से नारियल फोड़ा जाता है और महुआ की शराब की तर्पनी दी जाती है। इसी समय बदले में सोनवानी (समधी पक्ष) को 1 नारियल और 1 बोतल शराब देते हैं।

बच्चे का नामकरण संस्कार सांवर बलि के समय उसी दिन करते हैं। बच्चे के आता/बुआ द्वारा बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। कमार जनजाति के लोग पुर्नजन्म को मानते हैं। उनकी मान्यता है कि पूर्वज पुनः जन्म लेकर जिससे वह अधिक स्नेह/प्रेम करता है। उसके गर्भ में जन्म लेते हैं। इस समय डुम्बा हेराई (डुम्बो बांछना) किया जाता है। इसमें एक मुट्ठी में धान लिया जाता है और उस धान को जोड़ी बनाकर अपने पूर्वजों का नाम लेकर पूछते हैं, जिसके नाम में जोड़ी नहीं बनता उस पूर्वज का पुर्नजन्म माना जाता है। जिसके आधार पर अथवा पूर्व में दिन और महिना के आधार पर बच्चे का नामकरण किया जाता था। वर्तमान समय में देवी–देवताओं, स्थानों, प्राकृतिक वस्तुओं या अन्य आधुनिक नाम रखने लगे हैं।

हांडी छियानी

छठी के बाद सगा–संबंधी एवं गांव के अन्य लोगों को बुलाकर यह कार्यक्रम किया जाता है। इस दिन प्रसुता खुद खाना बनाकर खिलाती है या इसके नाम से खाना बनाकर कम से कम 5 लोगों को परोसकर खाना खिलाती हैं।

विवाह संस्कार

कमार जनजाति में लड़कों के (शारीरिक विकास, दाढ़ी मूंछ उग आने पर तथा उसके परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाने की स्थिति में) एवं लड़कियों के (मासिक धर्म प्रारंभ होने पर) विवाह योग्य हो जाने पर विवाह किया जाता है। सामान्यतः लड़की की उम्र 16–18 वर्ष एवं लड़कों की उम्र 18–20 वर्ष में विवाह योग्य माना जाता है। कमार जनजाति में खेती लेन–देन अथवा दूध लौटाने की प्रथा है। सामान्यतः शादी विवाह हेतु पहल लड़का पक्ष द्वारा किया जाता है, सर्वप्रथम विवाह हेतु बुआ (आता) की लड़की के लिए प्रस्ताव लेकर जाते हैं, यदि वह मैं दई–बाप के घर अपनी बेटी नहीं दूंगी करके मना करती है तो वह मामा की लड़की को पूछते हैं, यदि वह भी मना कर देते हैं तो ही वह दूसरी लड़की के यहां विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं। इनमें मामा–फूफू विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, यदि लड़की या लड़का आपस में पसंद नहीं कर रहे हों तो उसे बताना पड़ता है कि रिश्ता नहीं जम पा रहा है दूसरा सगा आये तो लड़की दे देना अथवा लड़की ले लेना।

फूफू पक्ष को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, उनके द्वारा विवाह प्रस्ताव के लिए रास्ता देखा जाता है, क्योंकि उनको दूध लौटाना या खेती वापस करना होता है। मामा पक्ष में विवाह कर सकते हैं, किन्तु आवश्यक नहीं होता।

पूछनी

कमार जनजाति में दीवान (समधान) को लेकर लड़का पक्ष के लोग फूफू के घर पूछने जाते हैं कि सगा देखने आये हैं, उनके द्वारा पसंद आने पर एक बोतल मंद (शराब)

और एक नारियल छोंड़कर आते हैं, यदि उनके द्वारा यह स्वीकार कर लेते हैं तो लड़के वाले महला आने के लिए पूछते हैं कि महला कब आना है, महिना, छः महिना अथवा साल में महला तय किया जाता है।

महला (पहिली पूछनी)

महला में निर्धारित चांवल (5 काठा), 1 नारियल, 1 बोतल मंद (शराब), 1–2 किग्रा. दाल, 5–10 किग्रा. गुड़, 5 कट्टा (पैकेट) बिड़ी और चिवड़ा लेकर जाते हैं। ''डूमा माटी'' धरती माता के लिए एक नारियल और ''काड़'' तीर, महला लेकर जाते हैं। साथ में लडकी के लिए नया कपड़ा, फलदान के दिन का पुछनी के लिए नारियल लेकर लड़के के तरफ से महालिया समधान अथवा कहीं–कहीं पर लड़का का भाई महला लेकर जाता है। महला के साथ में लड़के को जाना अनिवार्य है। महला के घर में पहुंचने पर दोनों पक्ष आपस में चर्चा कर दोनों पक्ष के लोग समाज व बस्ती के लोगों को बुलाते हैं, गांव समाज के लोग दोनों पक्ष को पूछते हैं कि ''गांव डिवहार ला काबर बलाय हस'' समाज के लोग दोनों पक्षों से चर्चा कर लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या मरजी है, लड़की से कई बार उसकी मर्जी पूछते हैं, उसकी स्वीकृति के उपरांत ही सामने में लड़के को बुलाकर लड़के की मर्जी पूछी जाती है। लड़के की स्वीकृति के उपरांत ''नेग'' का सारा सामान लेकर आते हैं। स्वीकृति उपरांत दोनों पक्षों के समाज द्वारा लड़का व लड़की दोनों को एक साथ खड़ा करके नारियल सुपारी फोड़ा जाता है। तत्पश्चात दोनों पक्ष के समाज द्वारा पूछा जाता है कि – ''सुखियो नेता कि ओदलो नेता'' अर्थात शादी करके ले जाओगे कि ऐसे ही ले जाओगे। महला द्वारा लड़की ले जाने पर दुल्हा–दुल्हन को तेल–हल्दी नहीं लगाते, केवल चूड़ी पहना कर ले जाते हैं।

महला के साथ लड़की को 8–10 दिनों के लिए घर दिखाई के लिए लड़के के साथ लेकर आते हैं। महला में केवल लड़की को साथ लेकर आते हैं। इस बीच दोनों में आपस में संबंध अच्छा बन जाता है। इस बीच दोनों में शारीरिक संबंध बनने पर समाज द्वारा मान्यता दी जाती है, उसके बाद लड़की मना नहीं कर सकती। दोनों को अपस में सहमति होने पर खुशी के साथ मां–बांप जल्दी से दोनों की शादी की बात करते हैं।

यदि 8–10 दिन पश्चात लड़की शादी करने से मना करती है तो लड़की पक्ष को सामाजिक दण्ड देना पड़ता है तथा महला में होने वाले खर्च को लौटाना पड़ता है, यदि लड़का मना करता है तो समाज द्वारा लड़के को समझाया जाता है।

लड़का/लड़की द्वारा विवाह की स्वीकृति उपरांत डिवहार/महलिया के साथ लड़का के पिता लड़की के घर विवाह की तिथि तय करने के लिए जाते हैं। वहां पर चंदा/तिथि के आधार पर विवाह की तिथि तय की जाती है। विवाह की तिथि तय होने के पश्चात तिथि अनुसार स्वजातीय एवं समधान द्वारा सरई, बीजा, महुआ लकड़ी की (खाम) मोटी तना को माण्डों में गड़ाते हैं। माण्डो चौरकटिया (चौकोर) बनाया जाता है जिसे जाम डारा (जामुन के पत्ते) व खदर से ढंकते हैं। मंडवा गड़ाने व माटी पूजा करने वाले को 1 बोतल शराब, 1 नारियल व एक कट्टा बिड़ी देते हैं। पहले दिन लड़का पक्ष के यहां मड़वा गड़ाते हैं तथा दूसरे दिन लड़की पक्ष के यहां मंड़वा गड़ाया जाता है। लड़की के यहां महलिया द्वारा मंड़वा गड़ाया जाता है जो लड़के के घर मड़वा गड़ाकर लड़की के यहां जाता है इसी दिन लड़की पक्ष वाले को सामाजिक रूप से शादी की तिथि बताते हैं। इसी दिन से विवाह कार्यक्रम शुरू होता है।

महलिया को उसके साथी के साथ विवाह के शुरू के दिन मौर, सूखा दिया, करसा, तेल, नारियल, सुपारी आदि विवाह के सामान को लेकर वधु के घर भेजते हैं। जहां गांव का झाखर, पुजारी को खोजकर खाम, खोदने के लिए तथा पूजा कर महुआ डारा काटकर लाते हैं, गांव का झाखर, गायता द्वारा ''देवतला'' (ग्राम में भ्रमण कर) द्वारा गांव की देवी–देवताओं की पूजा का कार्य किया जाता है।

कमार जनजाति में विवाह का कार्यक्रम 2–3 दिनों में सम्पन्न होता है।

प्रथम दिन (हरियर माण्डो)

विवाह के प्रथम दिन महलिया व अन्य रिश्तेदार ''माण्डो डाल'' (मड़वा) काटकर लाते हैं फिर माता गुड़ी – देवतला (पूजा करने) जाते हैं। देवतला से वापस आकर गांव की शीतला माता में हल्दी–तेल चढ़ाते हैं उसके पश्चात घर की महिलाएं मंड़वा डाल जो

काटकर लाये रहते हैं उसे परघाने जाते हैं उसी के साथ में सुवासिन या भाभी खेरखाडांड़ (गोठान) से या अन्य जगह से मिट्टी खोदकर लाते हैं, मिट्टी को सुवासिन (भाभी) पर्रा में रखकर लाती हैं। मिट्टी को लाकर मंड़वा के नीचे रखते हैं जिसके उपर कलशा (मिट्टी का पात्र) को रखते हैं और उसके चारों ओर दिया जलाते हैं।

भीतर पूजा

इसे भीतर तेल कहा जाता है इसमें घर के अंदर लड़के/लड़की को आम पत्त के मौर पहनाते हैं और उसे हल्दी तेल आम पत्र से चढ़ाते हैं। इस समय सात व्यक्तियों (मां, बांप, डीहवार, झाखर, बहन, फूफू आदि) द्वारा सात बार भीतर तेल चढ़ाते हैं।

फिर आम पत्र के मौर को उतार कर उसे छिन्द पत्र का मौर पहनाते हैं। तत्पश्चात उसे उठाकर मड़वा में चारो ओर सात बार घूमाते हैं। ढेढ़ा एवं ढेड़हिन (सुवासा/सुवासिन) उपस्थित सभी बड़ों का प्रणाम करती हैं। दुल्हा एवं दुल्हिन को इस दौरान देव तुल्य माना जाता है, अतः इन्हें किसी का पैर छुने नहीं दिया जाता।

तत्पश्चात मंड़वा में आटे से चौक पुरकर (बनाकर) दुल्हा/दुल्हन को सात बार घुमाते हैं फिर दुल्हा/दुल्हन को तेल चढ़ाते हैं। इस समय जितना अधिक से अधिक लोगों द्वारा तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। फिर सभी लोग मड़वा के चारो ओर नाचते हैं, इसी समय लड़के को पाकर मंड़वा में सभी लोग खूब नाचते हैं।

दूसरा दिन

विवाह के दूसरे दिन दोपहर को मड़वा मौर (छिन्द पत्र का मौर) को उतार कर तेल मौर बांधते हैं। यहां पर भी प्रथम बार वाले सात व्यक्ति, सात–सात बार तेल चढ़ाते हैं। एक मौर को मंडप में बांधते हैं फिर मंड़वा के चारो ओर सात बार घुमाते हैं, उसके बाद बारात जाने की तैयारी करते हैं। बारात पहुंचने पर मड़वा मे दुल्हा से भेंट कराते है। उसे रूपया पैसा या कपड़ा से भेट करते है।

तेल उतारना

मण्डप में वर व वधु को एक साथ बैठकर सात बार तेल उतारते है। वर द्वारा लाया गया श्रृगांर का सामान देकर तथा उसे पहनाकर वधु को लगन के लिए तैयार करते है। तेल उतारने के लिए कांड़ तीर का उपयोग करते है। तेल उतारने के लिए तिल का तेल लेते है इनमे सिर के ऊपर हांथ को उल्टा रखते है। हथेली के मुख्य रेखा के बीच ''कांड'' को रखते है। फिर तिल के तेल से तेल उतारते है। महलिया दुल्हा/दुल्हन को उठाकर लगन के लिए निकालते है। दोनो को एक ही समय मे विपरीत दिशा में सात बार घुमाते है। वधु पूर्व दिशा की ओर पिछे करके व वर पश्चिम दिशा की ओर पिछे करके खड़ा हो जाता है। मंहलिया गज नापता है। वर के लिए चार पांव और वधु के लिए चार पांव फिर लगन के लिए वर वधु का लगन गांठ बांधते है। बूढ़ा देव की जय कारा लगाते है। सात भांवर (फेरे) पड़ता है। पहले 3 भांवर में लड़की आगे रहती है। लड़की के घर तीन भांवर पड़ता है। फिर मड़वा मे वर व वधु को खड़ा करके लड़की पक्ष के बुजुर्ग व समाज द्वारा **''धरम पानी''** करते है।

धरम पानी में के भाई को मड़वा के ऊपर चढ़कर धरम गढ़ मड़वा के ऊपर से दुल्हा/दुल्हन के ऊपर हल्दी पानी डालते है। इसके बाद वर वधु को नदी या तालाब में नहलाने ले जाते है। पूर्व में नहाकर लौटते समय मृग मारनें की प्रथा प्रचलित थी। इसमें एक हिरण बनाया जाता था और फिर वर द्वारा तीर से उस मृग को मारने को कहा जाता था। कई बार इसी दौरान तीर लगने से कई लोगों की मृत्यु हो गयी थी अतः अब यह प्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया है।

घर वापस आकर टिकावन की रश्म होती हैं जिसमे पीला चांवल से दुल्हा एवं दुल्हन की मांथे पर टिका लगाया जाता है। सर्वप्रथम झाखर द्वारा टीका लगाते है उसके पश्चात् समस्त नाते रिस्तेदार एवं उपस्थित व्यक्तियो द्वारा टिका लगाया जाता है।

विदाई

परिवार एवं गांव के सभी लोग वर एवं वधु का पैर धोकर लड़के के परिवार को हांथ पकड़कर वधु को सौंप देते है, भेट उपरांत बारात वापस लौट आता है। वापसी मे बारात को गांव की सीमा के बाहर रोकते है तथा झाखर को बारात वापसी की खबर देते है। झाखर द्वारा रास्ते मे हांडी रखकर चांवल आटा से रेखा बनाकर उस पर निम्बू काटता है। फिर बारात को रेखा से पार कराता है। बारात को घर के पास अन्य घर मे रूकवाया जाता है, वहां से बारात को परघाकर मड़वा में लाते है जहां बचा हुआ **''भांवर''** **(फेरें)** पूरा किया जाता हैं यहां फेरे मे लड़का आगे रहता है। यहां पर भी धरम पानी की प्रक्रिया की जाती है फिर टिकावन होता है अंत मे खाना खाकर सभी अपने अपने घर चले जाते है।

चौथिया

दूसरे दिन लड़की पक्ष के लोग अपने रिस्तेदारों के साथ लड़के के घर चौथिया के लिए आते है। इस दिन वर व वधु का झाखर द्वारा मौर उतारा जाता है। चौथिया का **''परघाकर''** आवश्यक मान सम्मान व खिलाने पिलाने के बाद शाम को चौथिया वापस चली जाती है।

विवाह का प्रकार

लमसेना विवाह :–

कमार जनजाति में लड़का पक्ष की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर, लड़की–लड़का देखकर बातचीत किया जाता है, जिसमें लड़का अपने होने वाले सास–ससुर के घर में एक वर्ष तक रहकर उनके आर्थिक क्रियाकलापों में अपना सहयोग देता है, इस बीच वह अपने आदत–व्यवहार से परिवार को खुश व संतुष्ट करने की कोशिश करता है, लड़की पक्ष वाले उसके कार्य व व्यवहार से संतुष्ट होने व दोनों पक्षों को पसंद आने पर विवाह की मंजूरी दे दी जाती है। अंत में दोनों का विधि–विधान से विवाह संपन्न करायी जाती है, इस प्रकार की विवाह की पद्धति को लमसेना विवाह कहा

जाता है। लमसेना विवाह में एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि होता है, जिसमें लड़के को अपनी योग्यता एक वर्ष के अंदर सिद्ध करना होता है। इस अवधि में लड़के–लड़की के बीच किसी प्रकार का कोई पति–पत्नी का संबंध नहीं रहता, यहां तक की दोनों के बीच ठीक से बातचीत भी नहीं होती। इस अवधि में लड़का–लड़की के घर एक अलग से कमरे में रहता है। जब तक उनकी विवाह नहीं हो जाती।

कमार जनजाति में रिश्ता तय हो जाने पर (मंगनी हो जाने पर) विवाह के पूर्व **''नवा खाई''** में अपनी होने वाली बहु को घर में लिवाकर लाना अनिवार्य होता है। इस रीति–रिवाज को **''घर देखाई''** कहते हैं। इस अवसर पर होने वाली नई बहु को लिवाकर लाते हैं तथा नई बहु के हाथों से खाने–पीने का पकवान बनवाते है, इस समय नई बहु का परिवार के सदस्यों से परिचय हो जाता है। इस समय लड़की–लड़के के घर 1 से $1^{1/2}$ माह तक रहती है जिससे घर परिवार के बारे में अच्छे से समझ व जान लेते हैं। इस अवसर पर लड़के व लड़की अलग–अलग रहते हैं। लड़के का पिता और उसके जीजा जी ही लड़की को लिवाने जाते हैं और वही लोग उसे पहुंचाने भी जाते हैं।

पैठू विवाह

विवाह की यह रीति भी कमार जनजाति में प्रचलित है। विवाह की इस रीति में लड़के व लड़की के बीच पहले से ही संबंध रहता है। इसमें लड़की–लड़के के घर में जबरदस्ती घुस जाती है। लड़का पक्ष द्वारा एक हद तक उसे घर से निकालने की कोशिश की जाती है। किन्तु लड़की द्वारा हठ किया जाता है कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, चूंकि लड़के का भी मन रहता है। अतः परिवार की सहमति से दोनों की विवाह कर दी जाती है।

जयमाला विवाह

विवाह की इस रीति में भी लड़के व लड़की दोनों की रजामंदी होती है। किन्तु दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। अतः समाज के लोगों से मिलकर वर माला विवाह कर लेते हैं।

मृत्यु संस्कार

मृत्यु संस्कार कमार जनजाति के जीवन काल की अंतिम संस्कार होता है। कमार जनजाति में किसी की मृत्यु होनें पर उसे परिवार के लोग अपने रिस्तेदारों व गोत्र कें लोगों को खबर भेजते है। इसके पश्चात् घर में समधान (सोनवानी) की आवश्यकता पड़ती है। सोनवानी द्वारा शव की परिक्षण, देव पूजन एवं संस्कार के माध्यम से करता है कि उसकी औघट मृत्युं, (आकस्मिक मृत्यु), वास्तविक मृत्यु , मार काट, बिमार या कीड़ा मकोड़ा काटने से मृत्यु हुई है। शव का परीक्षण कर बताता है। फिर शव को चाप मे लिटाकर दो लम्बी बांस मे बांध दिया जाता है। मृत शरीर को नहलाते धुलाते नही है उसके शरीर मे हल्दी लगाते है। सिर के पास अनेको जगह हल्दी लगाते है फिर शव को उठाते है शव को दो लोग उठाते है कई जगह चार लोग भी उठाते है। सबसे आगे बड़ा बेटा अथवा भतीजा शव को कंधा देता है। पिछे की तरफ सोनवानी या समधान, संबंधी या भांजा कंधा देता है। महिलाएं शमशान नही जाती है। गांव के लोग मिलजुल कर शव का अंतिम संस्कार करते है।

कमार जनजाति मे शव को दफनाते है। शव को दफनाने के लिए सोनवानी एवं गांव के लोग मिलकर गड्ढ़ा खोदते है। शव को दफनाते समय चित्त लिटा कर सिर को पूर्व दिशा की ओर रखते है। शरीर के सभी वस्तुओं आभूषणों को निकाल देते है। केवल एक ओढ़ाने वाले सफेद कपड़े के साथ दफनाते है। मृत व्यक्ति के उपयोग की सभी वस्तुओ को घर से श्मशान मे लाकर गड़ा देते है। अथवा जला देते है।

मिट्टी देते समय परिवार के सभी सदस्य सिर की ओर से व बाकी अन्य लोग पैर की ओर से मिट्टी देते है। मिट्टी सभी लोग एक साथ डालते है। दफनाने के बाद कुछ मिट्टी डालकर उसके ऊपर दो लकड़ी आड़ा डालते है क्योकी पूर्वजो का मानना है कि शव को लकड़बगघा आदि जानवर खोदकर खा जाते है। अतः इनसे शव की रक्षा की जा सके। शव को दफनाने के बाद उसे पवित्र करने के लिए उसके ऊपर गोबर से छीटा देते है और चारो ओर पत्थर रख देते है। अर्थी उठाने के बाद घर को भी गोबर से लीपकर पवित्र करते है।

तीन दिन मे काम पूरा कर लेते है तिसरे दिन तालाब मे अंवरा पानी एवं बिसर पानी कर लेते है। घर वापस आने के बाद सोनवानी/ समधान दूध पानी छिड़कर पवित्र करते है। दूब घास की जगह धनबाहर के पत्ते का अपयोग दूध पानी को छिड़कने के लिए करते है। इसमे विपरित गोत्र वाले एक दूसरे के ऊपर दूध पानी छिड़कर पवित्र करते है। अकाल मृत्यु या अन्य कारणो से मृत्यु होने पर गांव के झाखर को बुलाने है। जो शीतला मंदिर मे जा कर दूध–दही चढ़ाता है। इसी दिन मुण्डन संस्कार करते है जिसमे गोत्र के समस्त लोगो का मुण्डन किया जाता है। जिसे ''सांवर मुड़ाग'' कहते है। इनमे मुण्डन का कार्य नाई द्वारा नही किया जाता बल्कि सोनवानी के द्वारा किया जाता है। अंत मे खात खवई (खाने पीने) का कार्यक्रम होता है, जिसमे परिवार के लोगों रिस्तेदारों, गोत्र के लोगो तथा गांव के लोगो को खाना खिलाते है।

अंत मे सभी कार्य पूर्ण होने के उपरांत उत्तराधिकारी (चंदन पान) तय करते है। सोनवानी चोटी उतारता है तथा सिर पर पगड़ी बांधकर भेंट करते है। फिर सबको प्रणाम करके घर आता है। उसके बाद डुमा लाते है। आधे रास्ते मे जा कर जाम डारे का भड़वा बनाकर आटे से मनुष्य की आकृति बनाते है फिर पितृ पुरूष को सिर के रूप मे बुलाते है और मनुष्य की आकृति मे ''जीव पानी'' डालकर बोलते हैं कि छोटे जीव डालकर डुमा के रूप मे आ रहा है। वहां पर जीव पानी के कलश के पास एक दीपक जलाते है। फिर उसे पुछते है कि किसके पास जायेगा। वो कहता है कि बड़ी बहु के साथ जांऊगा वो कलश को लेकर उसके साथ जाता है। अंदर आकर पूजापाठ कराता है नारियल सुपारी होम धूप देकर नारियल को प्रसाद के लिए समधान को देता है। अंत मे सांत्वना स्वरूप दो शब्दों में शोक प्रकट करते हैं

पहले घर मे किसी की मृत्यु होने पर घर को जला देते थे और अन्यत्र चले जाते थे । इसके पिछे भूत–प्रेत और जादू–टोने पर अत्यधिाक विश्वास प्रमुख कारण था। कमार जनजाति के लोग पुर्नजन्म पर विश्वास करते है तथा व्यक्ति के मृत्यु होने पर जिससे वह अधिक प्रेम करता था उसके पास पुनः जन्म लेकर वापस आते है।

==0==

अध्याय 05
धार्मिक जीवन

धर्म

धर्म किसी न किसी प्रकार के अतिमानवीय, अलौकिक अथवा समाजोपरि शक्तियो पर विश्वास है जिसका प्रमुख आधार श्रद्धा भक्ति , भय और पवित्रता पर आधारित होता है तथा जो पार्थना पूजा या आराधना द्वारा अभिव्यक्त होता हैं जो किसी समाज के दैनिक जीवन, उसके सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापों एवं जीवन संस्कारों में अभिव्यक्त होता है। जो सर्वोच्च शक्ति के प्रति समर्पण एवं कार्य सिद्धी की कामना है जो पूजा, आराधना एवं बलि के माध्यम से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

कमार जनजाति का धार्मिक जीवन, प्रकृति, आत्मा अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं में विश्वास पर आधारित है। कमार जनजाति अलौकित शक्ति के समक्ष अपना समर्पण कर अपने कार्यों को पूर्ण करने की कामना करते हैं तथा कार्य पूर्ण हो जाने पर पूजा–आराधना तथा बलि आदि देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। कमार जनजाति का दैनिक जीवन, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन उनके जीवन संस्कार धर्म एवं आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन भय श्रद्धाभक्ति एवं पवित्रता की अवधारणा से ओतपोत्र है जिसकी अभिव्यक्ति पूजा–पाठ, प्रार्थना या आराधना में अभिव्यक्त होता है।

कमार जनजाति भी अन्य जनजातियो की भांति धर्म और जादू टोने मे विशेष आस्था रखती है। इनके जीवन चक्र के विभिन्न संस्कारों आर्थिक क्रिया कलापो मे देवी–देवताओ की पूजा–आराधना करते हैं।

प्रमुख देवी –देवता

कमार जनजाति मे ''**पूर्वज देव**'' घर के किसी ऐसे कोने मे जहां अधिक आना – जाना न हो तथा सामान्य पहुंच से दूर हो ऐसे स्थान पर रखते हैं इस स्थल मे चबूतरा बनाते है जिसमे त्रिशुल आदि रखते है, जिसे **डूमा** अथवा **पितर** स्थान कहते है।

यह एक पवित्र स्थल है जहां महिलाओ का महावारी के समय जाना वर्जित है। पितर/डूमा की पूजा विभिन्न अवसरों तीज त्यौहारों में करते हैं। धूप दीप, अगरबत्ती, नारियल तथा शराब चढ़ाकर पूजा करते तथा परिवार की कुशलता एवं सुख–समृद्धि की कामना करते हैं।

कमार जनजाति के लोग प्रमुख रूप से **कचना–धुरवा, बुढ़ा देव, ठाकुर देव, बुढ़ी माई, धरती माता, पोगरी देव (कुल देवता) मांगर माटी (पूर्वजों के गांव की मिट्टी)** तथा **माता डुमा (पूर्वज देव)** आदि की पूजा करते हैं।

गोत्र देव

कमार जनजाति विभिन्न गोत्र समुहों में विभक्त होते है। प्रत्येक गोत्र समुह अपने को एक पूर्वज के संतान मानते है सभी गोत्र समुहो का अपना – अपना एक गोत्र देवता होता है। जो घर से बाहर कुल स्थान मे स्थापित रहता है, जिसकी पूजा गोत्र के सभी लोग मिलकर वर्ष मे एक बार तथा विवाह अथवा मांगलिक कार्य के अवसर पर होम–दीप नारियल आदि चढ़ाकर करते है।

ग्राम देव

गांव से लगभग 100 – 200 मीटर की दूरी में साजा अथवा **पीपल वृक्ष के निचे शीतला माता, ठाकुर देवता, भीमा देव** स्थापित होता है। शीतला माता की साल मे एक बार माता पहुंचानी के समय (जब महुआ में मौर और कुची निकलता है) आषाढ़ माह में बकरा एवं मुर्गी की बलि दी जाती है। विवाह के अवसर पर मड़वा डाल काटनें के लिए भीमा देव की पूजा – पाठ किया जाता है बकरा व मुर्गा की बलि दी जाती हैं

चैत्र माह मे बीज बुंवाई के समय पूजा अर्चना कर बकरा व मुर्गा की पुजई (बलि) दी जाती है।

माटी जात्रा के समय अगहन माह में पूजा–अर्चना की जाती है तथा मुर्गी व बकरा की बलि दी जाती है।

तंत्र, मंत्र, जादू–टोना, भूत प्रेत में विश्वास

कमार जनजाति में भूत–प्रेत, तंत्र–मंत्र, जादू–टोना में अत्यधिक विश्वास पाया जाता है। इनके धार्मिक पूजा–पाठ करने वाला **सिरहा, डिहबैगा, झाखर** कहलाता है। जादू–टोना, तंत्र–मंत्र का जानकार, जड़ी–बूटी आदि से उपचार करने वाला सिरहा, बैगा होता है। कमार जनजाति में किसी व्यक्ति के बीमारी का कारण देवी–देवताओं का कुपित होना, भूत–प्रेत व जादू–टोना लगना माना जाता है।

बीमार होने पर बीमारी के कारण का पता लगाकर झाखर/ बैगा दीपक जलाकार **मंद (शराब) मुर्गी, बकरा, नारियल, हुम** आदि अर्पित कर देवी–देवताओं को मनाता है, तंत्र–मंत्र के द्वारा भूत–प्रेत को भगाता है, कई बीमारियों को दूर करने के लिए जड़ी–बुटी का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न अवसरों जन्म, विवाह, मृत्यु, तीज–त्यौहारों के अवसर देवी–देवताओं की पूजा करने का कार्य करते हैं।

स्वप्न

कमार जनजाति में देवी–देवताओं तथा पूर्वजों के आत्मा के पति अंधश्रद्धा होती है। ये स्वप्न को भविष्य का सूचक मानते हैं। अधिकांश लोग स्वप्न में आये विचारों को सगुन व अपसगुन से जोड़कर देखते हैं और उनको सच मानकर उनके निवारण एवं प्राप्ति के लिए उपाय भी करते हैं।

त्यौहार

कमार जनजाति के लोग प्रकृति के उपासक होते हैं, इनकी सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक निर्भरता प्रकृति पर होती है। अतः विभिन्न अवसरों, तीज त्यौहारों में प्रकृति व देवी–देवताओं के प्रति पूजा–पाठ का उत्सव आयोजित कर उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। कमार जनजाति के प्रमुख तीज त्यौहार निम्नांकित है –

बीज बोनी

बैशाख (मई) माह में धान बुंआई करने के एक दिन पूर्व शाम के समय घर की कोठी से धान को निकालकर देवी–देवता, डूमादेव (पितर देव) के स्थान पर रख देते हैं तथा अच्छी पैदावार के लिए नारियल, धूप, अगरबत्ती से पूजा–पाठ करते हैं।

प्रातः काल भोर के समय धान बीज को खेत में लेकर जाते हैं, वहां भू–माटी के नाम से पूजा–पाठ करते हैं, शराब चढ़ाते हैं जिसे तरपनी कहा जाता है। कहीं–कहीं पर मुर्गी या सुअर की बलि देते हैं। बलि के प्रसाद को वहीं पर पकाकर पुरूष वर्ग ही खाते हैं, उसके पश्चात बुआई करते हैं।

नवाखाई

भादो माह में घर की शुद्धिकरण के लिए समधान को बुलाते हैं, समधान द्वारा घर, देवस्थल, किचन (रसोई घर) को दूध छिड़कर शुद्धिकरण करवाते हैं। सभी परिवारजनों को बुलाकर एक निश्चित निर्धारित दिन एकत्र होकर घर के देवी–देवताओं को धान की नई बाली, नया धान का चावल, कपड़ा, कोचई पान (अरबी का पत्ता) महुआ, महुआ की दारू आदि पूजा पाठकर चढ़ाते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कुदूपान में भोजन रखकर प्रणाम कर भोजन ग्रहण करते हैं। यह त्यौहार नया धान की फसल को उपभोग करने से पूर्व अपने कुल के साथ मनाते हैं।

माता पहुंचानी

आषाढ़ माह (जुलाई) के शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार या गुरूवार को मनाया जाता है। ग्राम झाखर द्वारा पहुंचानी पूजा की जाती है, जिसमें ग्राम के सभी सदस्य पूर्व से तैयारी करके संपन्न करते हैं।

सबसे पहले झाखर, ग्राम प्रमुख एवं अन्य बुजुर्गों के साथ देवी मां को कुहुल देते हैं, उसके बाद सिरहा द्वारा देवी मां को छुपा दिया जाता है, देवी के छुपाने के बाद लोग असहाय भाव से अपना दुख–दर्द रखते हैं, जिस पर देवी माँ आर्शीवाद देती है।

पश्चात् विधि विधान के साथ होम धूप, नारियल, महुआ, शराब, मुर्गा, बकरा या सुअर आदि चढ़ाकर पूजा पाठ करते हैं।

महुआ–भुंजनी

फागुन (मार्च) माह में **फागुन पुन्नी (पुर्णिमा) के दिन डूमाघाट (देवस्थल)** में **महुआ का कच्चा फूल** या महुए को भूनकर चढ़ाते हैं साथ ही नारियल, अगरबत्ती एवं मंद (महुए की शराब) चढ़ाते हैं। इस दिन से पूजा–पाठ के बाद नया महुआ का उपयोग करते हैं।

डुमा जात्रा

कमार जनजाति में अपने **पूर्वजों, दादा–परदादाओं की आत्मा की शान्ति** के लिए 5–7 साल के अंतराल में डुमा जात्रा मनाते हैं, इसमें किसी एक निश्चित तिथि का निर्धारण करके सभी लोग बड़े धूम–धाम से अपने पूर्वज देव की आराधना करते हैं और मंद चढ़ाते हैं, मुर्गा व बकरा की बलि देते हैं।

देव जात्रा –

कमार जनजाति में अलग–अलग ग्रामों में अलग–अलग गोत्र के लोग एवं उनके गोत्र के देवी–देवता हैं। कमार ग्रामों में प्रायः एक अथवा दो गोत्र ही के लोग पाये जाते हैं, गोत्र देव की पूजा गोत्र के लोग मिलकर निश्चित अवधि में करते हैं, गोत्र पूजा का आयोजन 3–4 वर्षों में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक गोत्र का देवस्थल होता है जिसे कोटनवाय या मुह देव कहा जाता है, कोटनबाय पर एक सिरहा पुजारी होता है, जो उसकी सेवा करता है।

देव जात्रा आयोजन के एक माह पूर्व सिरहा के द्वारा सभी स्वगोत्रियों को निमंत्रण भिजवाया जाता है। निमंत्रण देने का कार्य समाज के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है, देव यात्रा के दिन सभी स्वगोत्री व परगोत्री कोटनवाय देव

स्थल पर एकत्र होते हैं, पूजा का समान के रूप में बलि के लिए बकरा सुअर, मुर्गी, मुर्गा तथा मंद लेकर आते हैं।

साधारण पूजा पाठ के लिए सभी देवी–देवताओं को आमंत्रित किया जाता है तथा नारियल सुपारी और बंदन (टीका) से पूजा अर्चना की जाती है, कमार जनजाति में मान्यता है कि पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर कुल देवी–देवता सिरहा व अन्य गोत्र के सिरहा में प्रवेश करता है (समाजाता है) जिससे एक भावपूर्ण वातावरण बन जाता है और सिरहा अपनी संस्कृति के अनुरूप लोकनृत्य में विलिन हो जाता है। प्रातः काल 3–4 बजे विशेष पूजा का आयोजन होता है जिमसें गोत्र के लोग बलि के लिए लाये रहते हैं उसका बलि देकर सुख समृद्धि, कुशल स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करते हैं, उसके पश्चात देवी–देवताओं को विसर्जित किया जाता है। विसर्जन के पश्चात सभी लोग गोत्र प्रसाद के रूप में बली के मांस का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवी जात्रा की पूजा संपन्न हो जाती है।

अक्ती (जेठ)

जेठ माह के पंद्रहवा दिन अक्ती त्यौहार मनाते हैं, कमार जनजाति में इसे नया साल के रूप में मनाते हैं। इस दिन गांव के सभी लोग ठाकुर दिया जाकर ठाकुर देव की पूजा–पाठ कर ठाकुर दिया से एक–एक मुट्ठी धान लेकर आते हैं। फिर नया **''झेझरी'' (टुकनी)** में धान की बीज, कुदारी, एक लोटा पानी, **''छेना''** में आग, हुम–दीप व नारियल लेकर खेत जाते हैं। वहां पर खेत के एक किनारे हुम–दीप जलाकर तथा नारियल फोड़कर पूजा–पाठ करते हैं तथा कुदारी से एक किनारे को खोदकर उसमें उस बीज को बोते हैं।

ईतवार तिहार

भादो माह में 5 रविवार को ईतवार तिहार मनाते है। रविवार को खेती, नागर आदि का कार्य बंद रहता है। इस दिन खेत में **''चीला'' (चांवल आटे का रोटी)** चढ़ाते हैं। आखरी रविवार को चीला के साथ नारियल चढ़ाते हैं। अगरबत्ती जलाकर हर रविवार को

होम–धूप देते हैं। ''चीला'' चढ़ाकर पुरूष वर्ग के लोग 5–10 मिनट पश्चात् वजहीं पर खा कर वापस आ जाते हैं। चढ़ा हुआ ''चीला'' महिलाएं नहीं खा सकती। इस त्यौहार में धरती माता और अन्न कुंवारी का पूजा करते हैं ताकि फसल अच्छी हो और बिमारी आदि ना आ पाये।

हरेली

यह त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है। इस दिन कृषि उपकरण **नागर, रापा, गैती, सब्बल, कुदारी** आदि को तालाब से धोकर लाते हैं और उसे घर के आंगन अथवा कोठा में मुरूम बिछाकर उस पर रखते हैं। अगरबत्ती, धूप जलाकर, गुलाल आदि लगाकर पूजा करते हैं और नारियल ''चीला रोटी'' व मंद चढ़ाते हैं। यह पूजा घर के मुखिया द्वारा किया जाता है। पूजा का प्रसाद घर के पुरूष वर्ग ही ग्रहण करते हैं। महिलाएं प्रसाद नहीं खाती है। यह पूजा अब कृषि कार्य में उनका कार्य पूर्ण हो गया है तथा इनके कृषि कार्य में दिये गये सहयोग के लिए करते हैं।

इसके अलावा, समय–समय पर, त्यौहारों एवं उत्सव के अवसरों पर **बूढ़ा देव, कंकालिन, बूढ़ीमाई, पाठदेव, रावराज (वनदेव)** आदि देवी–देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है।

कमार जनजाति में अपने पारंपरिक त्यौहारों के अलावा **हरेली, अक्ती, फागुन, दीवाली, दशहरा** आदि को भी धूमधाम से मनाते हैं।

==0==

अध्याय 06
आर्थिक जीवन

विशेष पिछड़ी जनजाति कमार का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से वनों एवं वनोत्पादो पर निर्भर है। पूर्व मे यह जनजातीय समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो कर वहां के वनो को काटकर जला देते थे तथा उसके राख को फैलाकर उस पर मोटे अनाज को छिड़कर आदिम कृषि करते थे जिसे ''**बेवरा खेती**'' या ''**डहिया खेती**'' कहा जाता था। इस पद्धति से मुख्यतया **धान, मड़िया, कोसरा, कोदो, कुटकी, उड़द** आदि की फसल ली जाती थी।

किन्तु शासन द्वारा नवीन वन निति के कारण उस पर प्रतिबंध लगने से वर्तमान में कमार जनजाति कृषि की अदिम तकनीक को त्याग कर स्थायी कृषि करने लगे है। चूंकि उनकी कृषि की पद्धति आदिम होने तथा रासायनिक खाद एवं उन्नत बीज का प्रयोग नही करने तथा आदर्श कृषि पद्धति के चरणों जैसे खेतों की समुचित जुताई, समय पर निदाई आदि नहीं करने, सिचांई के लिए पूर्ण रूपेण मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहनें जैसे कारणो से अनाज का उत्पादन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। कृषि के आधुनिक पद्धलि के ज्ञान के अभाव भांठा जमीन होने, जमीन मे उर्वरा शक्ति की कमी व सिचाई के साधनो के आभाव आदि के कारण से उनके द्वारा उत्पादित अनाज उनके परिवार के लिए वर्ष में तीन से चार माह के उपभोग के लिए ही पर्याप्त होता है। शेष समय के लिए उदर पुर्ती हेतु अनाज साहूकारों व दुकानदारो से खरीदते हैं।

आर्थिक संरचना

कमार जनजाति के लोग वनों एवं पहाड़ी क्षेत्रो में निवासरत है उनकी आर्थिक जीवन पूर्णतः वनों, वनों से प्राप्त ऊपादो पर अधिक निर्भर है। वर्तमान मे कमार परिवार प्राचीन तकनीक से कृषि कार्य करने लगे है। कमार जनजाति की आर्थिक संरचना को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है :–

1 बांस बर्तन
2 कृषि
3 कृषि मजदूरी
4 वनोपज संग्रहण
5 शिकार
6 पशुपालन
7 मूर्गीपालन
8 मछली पकड़ना
9 शासकीय / जंगल मजदूरी

बांस बर्तन

कमार जनजाति के लोग जिविकोयार्जन हेतु मुख्य रूप में अपने परंपरागत व्यवसाय बांस बर्तन निर्माण पर निर्भर है। बांस बर्तन निर्माण के लिए कच्चे एवं सूखे बांस का प्रयोग करते है। अधिकांशतः बांस बर्तन निर्माण के लिए कच्चे बांस वनों से प्राप्त करते है। इसके लिए वे दिन भर वनों में जा कर बांस इकठ्ठा करते हैं और शाम तक घर लौटते है। धीरे धीरे वनों का कटाव हो जाने व वन विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण अब बाजार से या बांस डीपो से बांस खरीदते है। वनो से बांस प्राप्त करने के लिए आस पास के जंगलों से बांस समाप्त हो जाने के कारण उन्हें बहुत दूर जंगल मे जाना पड़ता है।

बांस बर्तन बनाने में उनको वस्तु के अनुसार 1 से 2 दिनों का समय लगता है। जंगल से बांस लाने के पश्चात् उससे पतले–पतले (अवश्यकतानुसार) तुकड़े बनाते है फिर उसे छुरी से साफ करते है, तत्पश्चात् उनसे आवश्यकतानुसार बर्तन बनाते हैं। बांस से ''चाप''(चटाई), टोकरी, टुकनी, सूपा, झौंहा, बाहरी (झाड़ू) डूटी, आदि बनाते है। बांस से निर्मित इन वस्तुओं को समीप के साप्ताहिक हाट बाजार में बेंचते हैं और उनसे प्राप्त आय से अपने दैनिक आवश्यकता की वस्तुओ को खरीदते हैं। वर्तमान समय मे

बिचौलिये/कोचिया प्रत्येक सप्ताह गांवों में जाकर उनके घरो से बांस निर्मित वस्तुएं खरीद लेते है।

कमार जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों में कलाकौशल (बांस बर्तन) का ज्ञान रखने वाले परिवारों का विवरण निम्नांकित है –

कलाकौशल के ज्ञान वाले परिवार

क्र.	सर्वेक्षित परिवार	कला कौशल के ज्ञान वाले परिवार	प्रतिशत
1	**121**	**50**	**41.32**

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों मे अपने परम्परागत व्यवसाय बांस बर्तन निर्माण मे संलग्न परिवारों की संख्या 41.32 प्रतिशत पायी गयी।

कृषि

(अ) स्थानांतरित कृषि

कमार जनजाति के लोग पूर्व मे स्थानांतरित खेती करते थे जिसे **"बेवरा"/"डहिया"** कृषि कहा जाता है इसमे समतल भूमि का चयन कर वहां पर के घास फूस झाड़ी को काटकर लकड़ियो को एकत्र कर जला दिया जाता था तथा राख को मिट्टी में फैला दिया जाता था जलाने से मिट्टी भी काली हो जाती थी फिर उसमे मोटे अनाज कोदो, मोटा धान, मक्का, कुटकी, कोसरा आदि का फसल लिया जाता था। एक बार उपयोग के पश्चात उसी जमीन का दोबरा भी उपयोग किया जाता था जिसे सार्वा कृषि कहते है। दूसरी बार भी उसी फसल को बोते थे। जमीन को कुदाली आदि से खोदकर बुंवाई करते थे। आषाढ़ (जुलाई) महिने मे प्रथम बारिस के पश्चात् उक्त जमीन को खोद कर उस पर मोटे अनाज की बुंवाई की जाती थी। फसल पकने पर कटाई कर ली जाती हैं।

शासन द्वारा स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाने तथा शासन द्वारा उन्हें कृषि भूमि व कृषि उपकरण, खाद बीज आदि प्रदान किये जाने से वे स्थायी कृषि की ओर अग्रसर हुए है। वर्तमान मे हल बैल व ट्रैक्टर से अधुनिक कृषि की ओर अग्रसर हुए है तथा **धान, मक्का, कोदो, कुटकी, उड़द, मूंग** आदि की फसल ले रहे है।

(ब) स्थायी कृषि –

कमार जनजातियों द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कृषि पद्धति का विवरण निम्नानुसार है –

वर्षा ऋतु से पूर्व अपने खेतों की साफ–सफाई खेत के किनारे व मेड़ो की सफाई कर खेतो में बिखरे लकड़ी कांटा कचरे को एकत्र कर उसे आग से जला देते है फिर घर मे एकत्र गोबर व घरेलू कचरे से निर्मित खाद को खेतो मे ले जाकर फैला देते है।

पानी गिरने पर खेतों को नागर से जोतते हैं खेतों को नागर से दो बार (एक बार आड़ी और दूसरी बार सीधी) जुताई की जाती है। फिर धान की बीज को छोटी टोकरी ''**झेंझरी**'' मे लेकर बीज को छिड़ककर बोवाई करते है फिर ऊपर से **कोपर** (लकड़ी का लम्बा व समतल तुकड़ा) चलाते है, जिससे मिट्टी टूट कर समतल हो जाता है और बीज भी ढंक जाता है। बीज बोने के 40–45 दिनो पश्चात् फसल से ''**बन**'' (खरपतवार) निकाला जाता है। जिसे **निंदाई** कहते है। निंदाई कर उसमे खाद व उर्वरक डाला जाता है, उसके पश्चात् धान कि चलाई करते है जिससे जहां पर धान का पौधा अधिक घना होता है, वहां पर से पौधो को निकालकर खाली जगह पर रोपा जाता है यह कार्य कमार महिला एवं पुरूष दोनों मिलकर करते है। पूरी फसल चक्र में निंदाई दो बार करते हैं। पहली निंदाई के 1–1.5 माह बाद दुसरी निंदाई करते है। 4–4.5 माह में फसल पक कर तैयार हो जाता है।

फसल कटाई

फसल के पक जाने के पश्चात् कमार महिला एवं पुरूष दोनो फसल कटाई **''लुवई''** करते है। फसल काटने के लिए हंसिया **''ईवो''** का प्रयोग करते है। फसल काटकर छोटे–छोटे हिस्से मे खेतो मे रखते जाते हैं। जिसे **''करपा''** कहते है। करपा को दो से तीन दिन तक खेत मे ही सुखने दिया जाता है। सुखने के बाद धान को महिला एवं पुरूष दोनो मिलकर पैरा डोरी (रस्सी) से बांधते है। जिसे **''जुंआ''** कहते है जुंआ बांधकर धान को महिलाएं सिर पर उठाकर तथा पुरूष **''सूर''** (एक प्रकार का बांस/लकड़ी का बना दोनो तरफ नुकीला एक लंबा डंडा) से (डोहारते) ले जाते है। खलिहान **''ब्यारा''** मे धान को लाने के बाद रस्सी खोलकर एक के ऊपर एक रखकर गोलाकार **''खरही''** बनाते है। गांव के सभी लोग अपने अपने फसल को काटकर लाकर अपने–अपने खलिहान में ''खरही'' बनाकर रखते है। गांव के सभी लोगों का फसल खलिहान में इकठ्ठा हो जाने के पश्चात् ही **''मिसाई''** प्रारभ करते है। यदि जल्दी मिसाई करनी हो तो खरही नही बनाते।

गांव बनाना (गांव बनाथे)

गांव के लोगो का सभी फसल खलिहान में इकठ्ठा कर लेने के पश्चात् गांव के सभी जाति के लोग **''ठाकुर दिया''** मे पूजा पाठ करते हैं गांव के सभी लोग दोना मे एक–एक मुठ्ठी धान चढ़ाते है शराब से तर्पनी करते हैं फिर बैगा द्वारा पूजा पाठ करके एक बकरे की बलि दी जाती है। बकरा को काटकर उसके मांस को सभी परिवार मे थोड़ा–थोड़ा प्रसाद के रूप में बाटतें है जिसे वह घर नही ले जाता अपितु उसे खलिहान **''ब्यारा''** मे ही पकाकर खाते है। इस प्रसाद (मांस) को परिवार के पुरूष सदस्य तथा छोटी व अविवाहित लड़कियां ही खाती हैं। (उक्त पूजा के लिए गांव के समस्त परिवारो से चंदा एकत्र किया जाता हैं।) पूजा वाले स्थान पर महिलाओं का जाना वर्जित है जबकि वह दूर से (25–30 फीट की दूरी) से देखते है। अविवाहित लड़कियां पूजा में जा सकती है। प्रसाद (मांस) को पकाने का कार्य भी पुरूषो के द्वारा किया जाता है। गांव बनाने के

पश्चात् मिंजाई का कार्य कभी भी प्रारंभ कर सकते है। फसल की मिंजाई का कार्य दौरी व बेलन से किया जाता है।

दौरी

खलिहान की साफ–सफाई कर उसे गोबर से लीपा जाता है। फिर बीच मे एक लकड़ी का लम्बा खूंटा जिसे मेंड़हार खूंटा कहते है गड़ाया जाता है जिसमे रस्सी का एक लम्बां **''दावन''** बांधते है जिसमे 6–7 बैलों को एक साथ फांदते है। खूटें के चारो ओर धान को फैला देते है बैलों को फांदकर उसके ऊपर चारो ओर गोल–गोल घूमाते है जिससे उसके पैर से धान और पैरा अलग हो जाता हैं।

बेलन

यह गोल बेलनाकार लकड़ी का बना होता है। जिसमें एक डांड़ी के माध्यम से जुंड़ा बंधा होता है जिसमें बैलों/भैंसा को जोता जाता है, जिससे खलिहान मे धान (पैरा सहित) को बिखेर कर उसके ऊपर बेलन चलाते है। जिससे धान व पैरा अलग हो जाता है। बेलन एवं दौरी मे मिसाई के दौरान दो–दो बार हंसिया और कलारी से काड़ाई करते है जिसमे पैरा को झड़ाकर ऊपर निचे किया जाता है जिससे धान का बीज निचे चला जाता है और पैरा ऊपर आ जाता है।

पैरा से धान झड़कर अलग हो जाने के पश्चात् पैरा को हंसिया व कलारी से झड़ाकर अलग कर देते है। फिर ऊपर मे **''बाढ़नो''** (झाडू) से बहारते हैं। फिर धान को सूपा **''सूप''** व लकड़ी के पटनी से इकट्ठा करते है। धान को इकट्ठा कर ढेर **''रास''** बनाते है। फिर रास को सूपा मे उठाकर उड़ावनी पंखे से **''ओसाई''** करते है। अथवा प्राकृतिक रूप से हवा से उड़ाते है तथा सूपा से धौंक कर कचरा को उड़ाते (अलग करते) हैं। ओसाने का कार्य महिलाएं नही करती जबकि वह सूपा में धान भर कर ओसाने के लिए देती हैं ओसाने के बाद धान को टोकनी व बोरी मे भरकर घर ले आते है फिर उसे घर के किसी कोनें में या कोठी में भर कर रख देते है।

मिसाई के आखिरी दिन साफ धान ''**रास**'' मे फूल अगरबत्ती नारियल चढ़ाकर उसमे चीला रोटी व महुआ दारू चढ़ाकर पूजा करते है। कई लोग मुर्गी की बलि भी चढ़ाते हैं।

''**लोटना**'' धान का बीज रखने के लिए पहले पैरा से मोटा रस्सी बनाते है फिर निचे पैरा के ''**बेंठ**'' (गोलाकार) बनाते हैं जिसमें रस्सी को लपेटकर लोटना बांधते है जिससे एक गहरा कोठी बन जाता हैं फिर उसके अंदर गोबर से छबाई करते हैं। फिर उसमे धान को भरकर ऊपर से गोबर की छबाई कर उसके ऊपर पैरा का ''बेंठ'' रख देते है। वर्तमान समय में धान रखने के लिए बोरा का उपयोग करते है।

खाने के धान को कोठी में रखते है जिसमें नीचे पैरा रखते हैं और ऊपर से गोबर की छबाई कर देते है। बीजहा धान को कोठी मे नही रखते क्योकि कोठी मे धान को सुरही खा जाता है। उनका मानना है कि कोठी में बीज रखने से बीज ''**भैराजाथे**'' अथवा ''**उसनाजाथे**'' जिससे बीज ठीक से उग नही पाता।

खरीफ फसल

कमार जनजाति के लोग वर्षा काल मे **धान, कोदो भर्री मे उड़द, मूंगफली** की खेती करते है। कमार जनजाति के लोगो के पास छोटी– छोटी जमीन है, अधिकांश भूमि भर्री जमीन है, जिसमें सिंचाई का साधन नही है तथा पुर्णतः वर्षा के जल पर निर्भर है।

बाड़ी

अधिकांश कमार परिवार के पास घर से लगा हुआ छोटा – छोटा बाड़ी होता है जिसमे वर्षा ऋतु में अपने दैनिक उपभोग के लिए **मिर्च, टमाटर, भटा (बैंगन), बरबटी, लौकी, कुम्हड़ा, भुट्टा (मक्का) ग्वारफल्ली, सेमी, भिण्डी ज्वांर** आदि लगाते हैं।

बाड़ी बोने के लिए जमीन को एक बार जोंतकर या कुदाली से खोदकर उसमे बीज छिड़क दिया जाता है। **सेम, लौकी, कुम्हड़ा, खीरा** आदि के लिए जमीन मे गोल गड्ढा खोदकर उसमे बीज बो देते है। बाड़ी की एक से दो बार निदाई भी करते है।

रवि फसल

कमार जनजाति के लोग पानी का साधन होने पर ग्रीष्मकालीन फसल के रूप मे कुछ लोग धान बोने लगे है।

कृषि कार्य में संलग्न परिवार

सर्वेक्षित कमार जनजाति परिवारों मे कृषि कार्य मे संलग्न परिवार का विवरण निम्नानुसार है –

कृषि कार्य में संलग्न परिवार

क्र.	विवरण	कृषि कार्य में संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	89	73.55
2	नही	32	26.45
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121			

सर्वेक्षित कमार परिवारों में सर्वाधिक 73.55 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य में संलग्न पाये गये।

भूमि धारिता

सर्वेक्षित कमार परिवार मे स्वयं के आधिपत्य की भूमि धारिता का विवरण निम्नांकित है –

स्वयं के आधिपत्य की भूमिधारिता वाले परिवार

क्र.	भूमि धारिता	भूमिधारक परिवार		कुल भूमि धारिता (एकड़ में)	औसत भूमि धारिता प्रति परिवार
		संख्या	प्रतिशत		
1	कुल भूमि धारक परिवार	89	73.5537	314.73	4
2	स्वयं के आधिपत्य की	67	55.3719	199.00	3
3	अधिग्रहित भूमि	44	36.3636	115.73	3
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121					

उपरोक्तानुसार कुल भूमि धारक 73.55 परिवारों मे प्रति परिवार औसत भूमिधारिता 4 एकड़ है। स्वयं के आधिपत्य की भूमि वाले 55.37 प्रतिशत परिवार है जिसमें प्रति परिवार औसत भूमि धारिता 3 एकड़ है।

कृषि उपज में संलग्नता

सर्वेक्षित कमार परिवारों में कृषि उपज में संलग्न परिवारों का विवरण निम्नानुसार है –

उपज में संलग्न परिवारों का विवरण

क्र.	फसल का नाम	फसल लेने वाले परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	धान	81	96.43
2	गेहूं	0	0.00
3	मक्का	1	1.19
4	चना	3	3.57
5	दलहन	7	8.33
6	अन्य	5	5.95
कुल कृषक परिवार – 84			

उपरोक्तानुसार कृषि उपज में संलग्न परिवारों में सर्वाधिक 96.43 प्रतिशत परिवार धान की फसल लेते है।

फसल की रखवाली :–

फसल की रखवाली के लिए दिन में गांव की गाय, बैल, बकरी से सुरक्षा के लिए खेत मे जाकर रखवाली करते है। गांव के पास जंगल होने से फसलो को जंगली जानवरो से अधिक नुकसान पहुंचता है। जिसमे **''बरहा''** (जंगली सुअर), भालू आदि से सुरक्षा के लिए खेतो मे मचान बनाकर ऊपर बैठ कर रखवाली करते हैं मचान के निचे लकड़ी का अंगेठी जलाते है जानवर आग को देखकर डरते है। रात मे बीच बीच मे

''आ हे रे'' हात हात की आवाज निकालते है। यह कार्य आपस में सभी लोग मिलकर सहयोग पूर्ण वातावरण मे करते हैं।

शिकार

पूर्व में कमार जनजाति के लोग आस–पास के वनो मे जंगली पशु–पक्षियों का शिकार करते थे पूर्व में शिकार सामुहिक एवं एकल रूप से करते हैं शिकार के लिए **''काड़ धनऊ''** **धनुष बाण ''गुठ्ठा'' गुलेल, टंगिया ''कुल्हाड़ी'' फरसा, भाला, छुरी** का उपयोग करते हैं।

एकल शिकार

एकल शिकार को **''हिन्डू''** कहते है एकल शिकार मे शिकार करने वाला स्वतंत्र रूप से अकेले जाकर जो भी जानवर चिड़िया, गिल्हरी, चूहा, खरगोश, हिरण, सुअर, मिलता है। उसका तीर धनुष से शिकार करता है। पक्षियों का शिकार **बिटो व गुलेल** से करते है। शिकार मे प्राप्त मांस को आग मे भून कर या पकाकर खाते है।

पशुपालन

कमार जनजाति के लोग गाय बैल, भैंस, भैसा, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि पालते है कुछ लोग शौकिया तौर पर जंगली जानवरों जैसे खरगोश, बंदर ,तोता आदि भी पालते है। पशुपालन के लिए घर से लगा पिछले हिस्से अथवा बाजू में लकड़ी व घांस फूस का एक छोपड़ी बनाते है जानवरों गाय, बैल, भैस, भैंसा के लिए घर से लगा एक बड़ा कोठा होता है। जो लकड़ी अथवा मिट्टी से बना ऊपर छत घास फूस अथवा खपरैल से बना होता है। कमार जनजाति के विभिन्न सामजिक व धार्मिक संस्कारों में बकरा, सुअर और मुर्गा आदि की बलि दी जाती है तथा उसकी मांस को खाते है। विभिन्न त्योवहारो व उत्सव के अवसरो पर बकरा/बकरी, सुअर को काटकर/बलिदेकर उसका मांस खाते है। घर के पास ही एक छोटी झोपड़ी नुमा बकरा/बकरी रखने का स्थान होता है। जिसे **''छेरी गोडी''** कहते है। साथ ही घर के पास ही एक छोटी झोपड़ी नुमा बनाकर उसमें सुअर को रखते है इसे **''बरहा गोडू''** कहते हैं।

कमार जनजाति में दूध का उपयोग नही किया जाता है। जबकि गाय का गोबर का उपयोग **छेना** (कण्डा) बनाकर सुखाकर जलाने में व घर को लीपने में पवित्रता के रूप में किया जाता हैं। बैल व भैसा का उपयोग खेतों में कृषि कार्य के लिए किया जाता हैं।

पशुपालन मे संलग्नता

सर्वेक्षित कमार परिवारों में पशुपालन की संलग्नता का विवरण निम्नानुसार है –

पशुपालन में संलग्न परिवारों का विवरण

क्र.	विवरण	पशुपालन मे संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	36	29.75
2	नही	85	70.25
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121			

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों में पशुपालन मे सलग्न परिवारों की संख्या 29.75 प्रतिशत पायी गई।

मुर्गीपालन

कमार जनजाति के लोग घरों में कमरें, बरामदें के कोने मे एक छोटा सा कमरा बनाकर उसमें मुर्गी पालन करते है। मुर्गी दिन भर घर के आस पास दाना चुगता है और रात में उसे मुर्गी रखने के स्थान पर रखते है। कमार जनजाति के लोग विभिन्न सामाजिक संस्कारों धार्मिक अवसरो व तीज त्योहारो में मुर्गे की बलि चढ़ाकर उसका मांस खाते है। मुर्गी के अण्डे का भी उपयोग खाने मे किया जाता है। मुर्गी का विक्रय कर आर्थिक लाभ भी प्राप्त करते है।

मछली पकड़ना

कमार जनजाति के लोग वर्षा काल मे कृषि कार्य से खाली समय मिलने पर आसपास के नदी, नालों या तालाबों पर मछली पकड़ने जाते है। मछली पकड़ने के लिए स्त्री–पुरूष बच्चे सभी जाते है। अधिकांशतः छोटे मछलियो को हांथ से ही पकड़ लेते है। मछली पकड़ने के लिए वर्षा ऋतु में बांस से बने **चोरिया, थापा, दादर, बीटो तीर, सौंखी, ढुठी, कुलियार** आदि से मछली पकड़ते है।

बांस से बनी चोरिया को छोटी–छोटी खेतों में बनी नालियों मे पानी की धारा में लगा देते है जिसमे मछलियां आकर फंस जाती है। ये प्रायः **''बांडी'' (बाम), बाम्बी, सिंघी, डुडम मछली, टेंगना, सरांगी, कोतरी, खोक्सी, रूदवा चिंगरी (झिंगा) ''डंड़वा'' ''भुंडा'' ''मोंगरी'' ''परसाली'' ''रोहा'' ''कतला''** आदि मछिलियां पकड़ते हैं। मछलियों के अतिरिक्त **''कछुआ''**, केकड़ा को भी पकड़कर खाते हैं। कुछ लोग घोंघे को भी भूनकर या पकाकर खाते हैं। अधिक मात्रा में मछलियां पकड़ लेने पर उसे आग में थोड़ा सा भूनकर उसे सुखा कर **''सुक्सी''** बनाकर अन्य समय में खाने के लिए रखते हैं।

जहां गांव में छोटे–छोटे तालाब व बांध है वहां सामुहिक रूप से मछली पालन का व्यवसाय करते हैं, उपभोग से अधिक मछली प्राप्त होने पर उसे बेंच कर अर्थोपार्जन करते हैं।

कृषि मजदूरी

अधिकांश कमार परिवार के पास छोटे–छोटे कृषि भूमि हैं जिस पर वे स्वयं कृषि कार्य करते हैं। अधिकांश लोग अपने खेतों में कृषि कार्य के लिए मजदूर नहीं ले जाते। वे दूसरे जाति के बड़े कृषक के पास मजदूरी के लिए जाते हैं। मजदूरी में अशिकांतः रोपा लगाने का कार्य, निदाई, धान कटाई तथा धान की मिसाई कार्य में मजदूरी का कार्य करते हैं।

कृषि मजदूरी का कार्य पूरे वर्ष भर में 15 दिन से लेकर 1–1.5 माह तक कार्य मिलता है। कृषि मजदूरी कार्य के बदले में अनाज अथवा रूपया दिया जाता है। प्रतिदिन मजदूरी के रूप में वर्तमान समय में 80–120 रूपया मेहनताना मिलता है।

मजदूरी में संलग्नता

सर्वेक्षित कमार परिवारों में मजदूरी मे संलग्नता का विवरण निम्नानुसार है–

मजदूरी में संलग्नता

क्र.	विवरण	मजदूरी में संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	113	93.39
2	नही	8	6.61
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121			

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित अधिकांश 93.39 प्रतिशत परिवार मजदूरी में संलग्न पाये गये।

वनोपज संग्रहण

कमार जनजाति सुदूर वनाच्छादित क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और इनका आर्थिक जीवन वनों एवं वनोत्पादों पर निर्भर करता है। इस जनजाति के लोग वनों से अपने स्वयं की उपभोग की वस्तुएं एवं बाजार में विक्रय किये जाने योग्य वस्तुओं को एकत्रित करते हैं। वनोपज एकत्र करने के लिए परिवार के समस्त सदस्य स्त्री–पुरूष तथा बच्चे अपना योगदान देते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ही घर में रहते हैं और छोटे–छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं।

वनों से जलाऊ लकड़ी एकत्र करते हैं जिसे भोजन बनाने के लिए जलाने में उपयोग करते हैं। वनों से वन उपज के रूप में चार, तेंदू, आम, ईमली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, लासा, सरई बीज, बाइब्रिडिंग, गोंदला जड़, बेल, बांस, चिरौंजी, महुआ, महुआ फल

आदि एकत्र करते हैं। जंगल से जामुन, तेंदू, सिहारी पत्ता, तेंदूपत्ता, कुलियारी पत्ता, विभिन्न प्रकार के खाने की भाजी जैसे अमटी भाजी, सिहाड़ी भाजी, पथर्री भाजी, करूकांदा, बेचांदी कांदा पीत कांदा, पिता कांदा, केऊ कांदा, कोलियारी भाजी, सिहारी फल, चरोटा भाजी, टोरी फल तथा विभिन्न प्रकार के मशरूम (फुटू) एकत्र कर खाने में उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा लाख, कोसा, सिहारी रस्सी, बांस आदि एकत्र कर बाजार में बेचते हैं।

वन से विभिन्न प्रकार के घास, फूल बाहरी, बांस बाहरी, कांटा बाहरी, छिंद बाहरी, सिर बाहरी वनों से काटकर लाते हैं तथा झाडू बनाकर बाजार में बेचते हैं।

वनोपज संकलन में संलग्नता

सर्वेक्षित कमार परिवारों में वनोपज संकलन में संलग्न परिवारों का विवरण निम्नांकित है –

वनोपज संकलन में संलग्न परिवारों की स्थिति

क्र.	विवरण	वनोपज संकलन करने वाले परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	112	92.56
2	नही	9	7.44
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121			

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित कमार परिवारों मे सर्वाधिक 92.56 प्रतिशत परिवार वनोपज संकलन में संलग्न पाये गये।

वनोपज संकलन

सर्वेक्षित कमार परिवारों में वनोपजवार संलग्न परिवारों का विवरण निम्नानुसार है –

वनोपज संकलन में संलग्न परिवारों का विवरण

क्र.	वनोपज	वनोपज संकलन में संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	महुआ	97	86.61
2	तेन्दुपत्ता	95	84.82
3	सरई	43	38.39
4	चार	20	17.86
5	अन्य	8	7.14
वनोपज संकलन मे संलग्न कुल परिवार – 112			

तालिका अनुसार सर्वेक्षित परिवारो में महुआ एवं तेन्दूपत्ता संकलन मे क्रमशः 86.61 तथा 84.82 प्रतिशत परिवार संलग्न पाये गये तथा अन्य वनोत्पाद सरई में 38.39 प्रतिशत तथा चार संकलन में 17.86 प्रतिशत परिवार संलग्न पाये गये।

वनोपज से आय

सर्वेक्षित कमार परिवारों में वनोपज से प्राप्त आय का विवरण निम्नांकित सारणी मे दर्शित है –

वनोपज संकलन से आय का विवरण

क्र.	वनोपज संकलनमें संलग्न परिवार		वनोपज संकलन से कुल आय	प्रति परिवार औसत वार्षिक आय
	संख्या	प्रतिशत		
1	112	92.56	494425	4415

उपरोक्तानुसार कुल वनोपज संकलनकर्ता 92.56 प्रतिशत परिवारों में वनोपज से प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 4415 रूपये पायी गयी।

शासकीय मजदूरी / जंगल मजदूरी

कुछ कमार परिवार के लोग आसपास के वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों जैसे – **कूप (लकड़ी) कटाई, बांस कटाई, पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण, तालाब / डबरी निर्माण, गहरीकरण, पौधों की रोपाई** आदि कार्यों में मजदूरी का कार्य करते हैं। इसके अलावा वन सुरक्षा समिति में वनों की चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं।

सरकार की महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में ग्रामों में रोजगार उपलब्ध कराये जाने वाली योजनांतर्गत तालाब गहरीकरण, भूमि समतलीकरण, सड़क निर्माण, गोठान निर्माण, पूल–पुलिया निर्माण एवं मरम्मत, तालाब निर्माण आदि कार्यों में मजदूरी का कार्य करते हैं।

अन्य व्यवसाय

वर्तमान में कमार जनजाति के कुछ लोग शासकीय योजना, स्वरोजगार, योजनांतर्गत, विभिन्न व्यवसायों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है जिससे अब स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है तथा बहुत से कमार लोग आरा मिल, राईस मिल, किराना दुकान, बांस बर्तन, व्यवसाय, कृषि व बागवानी आदि का कार्य करने लगे हैं।

कुछ कमार जनजाति के लोग शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न अशासकीय कार्यालयों, शासकीय कार्यालयों, आश्रम स्कूलों में चौकीदार, भृत्य, क्लर्क, शिक्षाकर्मी आदि पदों पर कार्यरत हैं।

आय के स्रोत

सर्वेक्षित कमार परिवारों में समस्त स्त्रोतों से आय का विवरण निम्नानुसार है –

सर्वेक्षित परिवारों में समस्त स्त्रोतों से आय

क्र.	स्त्रोत	संलग्न परिवार		कुल वार्षिक आय	प्रति परिवार औसत वार्षिक आय
		संख्या	प्रतिशत		
1	मजदूरी	113	93.39	2298732	20343
2	कृषि	84	69.42	2083180	24800
3	वनोपज संकलन	112	92.56	502425	4486
4	मनरेगा	73	60.33	882990	12096
5	सेवा	6	4.96	603000	100500
6	व्यवसाय	11	9.09	119800	10891
7	पशुपालन	1	0.83	2000	2000
कुल सर्वेक्षित परिवार		**121**	**100.00**	**6492127**	**53654**

सर्वेक्षित कमार परिवारों में सर्वाधिक 93.39 प्रतिशत परिवार मजदूरी में संलग्न पाये गये प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 20343 रूपये है। वनोपज संकलन में 92.56 प्रतिशत परिवार जिसका औसत वार्षिक आय 4486 रूपये कृषि में 69.42 प्रतिशत परिवार तथा औसत वार्षिक आय 24800 है। कुल सर्वेक्षित परिवार का औसत वार्षिक आय 53654 रूपये पाया गया।

ऋणग्रस्तता

सर्वेक्षित कमार परिवारों में ऋण का विवरण निम्नांकित है –

सर्वेक्षित कमार परिवारों में ऋणग्रस्तता

क्र.	ऋणग्रस्तता	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	19	15.70
2	नही	102	84.30
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121			

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों मे 15.70 प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त पाये गये।

कमार स्त्री–पुरूषों की दिनचर्या

पुरूष

कमार पुरूष सुबह 5 बजे उठकर वे अपने दैनिक कार्यों (शौच आदि से) निवृत्त होकर अपने–अपने कार्यों में चले जाते हैं। अपने बैलों व भैंस–भैंसा को लेकर चराने चले जाते हैं। कृषि कार्यों के समय सुबह से ही खेत में हल जोतने, बुआई करने, कटाई करने जाते हैं। खेतों में काम नहीं होने या खेती कार्य पूर्ण हो जाने पर शिकार, कंदमूल – फल एकत्र करने जंगल चले जाते हैं या बांस बर्तन हेतु बांस लाने चले जाते हैं। दोपहर को 12–1 बजे वापस आकर स्नानादि कर भोजन करते हैं, पेज पीते हैं। कुछ देर आराम करने के पश्चात पुनः अपने काम पर चले जाते हैं। शाम 5–6 बजे वापस आकर मंद पीते हैं और भोजन कर सो जाते हैं।

महिलाएँ

स्त्रियां सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू पोंछा लगाती हैं। फिर गाय के कोठा से गोबर उठाना, उसकी साफ–सफाई करना, मुर्गी, बकरी आदि को चारा देने के पश्चात भोजन बनाती है। फिर बच्चों को खिलाकर उनको बड़े बच्चे, बुजुर्गों या पड़ोसियों के पास छोड़कर अपने पति के साथ काम पर जाती है। दोपहर को वापस आकर स्नान कर भोजन करती हैं। फिर दोपहर पश्चात पुनः पति के साथ काम पर जाती है, शाम 5 बजे वापस आकर पुनः खाना बनाती है व पति तथा बच्चों को खिलाने के पश्चात स्वयं खाती हैं फिर सो जाती है।

बच्चे

बच्चे भी सुबहर उठकर अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्कूल जाने वाले बच्चे तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। कुछ बड़े बच्चे अपने छोटे बच्चों का देखभाल करते हैं तथा घर के छोटे–छोटे कामों वनोपज संग्रहण में अपना सहयोग देते हैं।

श्रम विभाजन

कमार जनजाति में स्त्री–पुरूषों में श्रम विभाजन को निम्नांकित सारणी से समझा जा सकता है।

क्र.	कार्य	पुरूष	स्त्री
1	घर में झाड़ू, पोंछा, लिपाई–पुताई	प्रायः नहीं करते हैं	करते हैं।
2	पानी भरना	प्रायः नहीं करते	हाँ
3	खाना बनाना	प्रायः नहीं करते किन्तु कभी–कभी पत्नी के नहीं होने पर करते हैं	हाँ
4	बच्चों की देखभाल	प्रायः नहीं करते	हाँ
	पशुपालन		
5	गाय, बैल, बकरी को पानी चारा देना बांधना	हां	हां
6	पशुओं को चराना	हां	हां
7	सुअर, मुर्गीपालन	हां	हां
8	जानवरों के (मल) गोबर, कोठा की साफ–सफाई	प्रायः नहीं	हां
	मकान निर्माण		
9	मिट्टी लाना, दिवार, बनाना	हां	हां
10	आवास निर्माण हेतु लकड़ी बल्ली लाना	हां	हां
11	छप्पर बनाना	हां	हां
	कृषि कार्य		
12	झाड़ पेड़ काटना	हां	नहीं
13	हल चलाना	हां	हां
14	बीज छिड़कना	हां	हां
15	निंदाई	हां	हां
16	कटाई	हां	हां
17	मिजाई	हां	हां
18	अनाज को घर पर लाना	हां	हां
	अन्य कार्य		
19	लकड़ी काटना	हां	हां
20	मजदूरी	हां	हां
21	वनोपज संग्रहण कंदमूल, फल, भाजी कोसा आदि एकत्र करना	हां	हां
22	शिकार	हां	हां
23	मछली पकड़ना	हां	हां
24	बाजार जाना	हां	हां

बाजार व्यवस्था

कमार जनजाति के लोग अपने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने अपने समीप के साप्ताहिक हाट–बाजार जाते हैं। साप्ताहिक बाजार हेतु मैनपुर, छुरा, नगरी, गरियाबंद, दुगली, उदंती, गट्टासिल्ली आदि का साप्ताहिक बाजार करते हैं। जहां वे पैदल साइकिल अथवा लोकल परिवहन बस आदि से आते–जाते हैं।

साप्ताहिक बाजार से अपने दैनिक उपयोग के **कपड़ा, नमक मिर्च, मसाले, माचिस, तेल, कुल्हाड़ी, कुदाली, शिकार** एवं **कृषि के उपकरण** आदि खरीदते हैं। साप्ताहिक बाजार में वे अपने **वनोपज संग्रह चार, तेंदू, महुआ, कोसा, लासा, मशरूम, बांस बर्तन** आदि बेचते हैं और उससे प्राप्त आय रूपये–पैसे से अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं। कमार जनजाति के लोग साप्ताहिक हाट बाजार में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं नगद अथवा वस्तु–विनिमय से प्राप्त करते हैं।

कमार जनजातियों में साप्ताहिक बाजार उनके लिए वस्तुएं खरीदने, बेंचने, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करने के साथ–साथ मनोरंजन का स्थान एवं अपने परिजनों व रिश्तेदारों से मेल मिलाप का भी स्थान होता है जहां पर वह अपने रिश्तेदारों से अपने सुख–दुख की चर्चा करते हैं। जहां अपने सामाजिक एवं पारिवारिक जानकारी एक–दूसरे से साझा करते हैं।

नाप तौल की प्रणाली

कमार जनजाति के लोग अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं की नाप तौल एवं विनिमय के लिए अपने विभिन्न पारंपरिक तरीके को अपना है जो निम्नानुसार है –

वजन

कमार जनजाति के लोग किसी वस्तु का वजन मापने के लिए **काठा, सेर, पैली** आदि का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में तराजू किलोबाट का उपयोग वजन मापने में करते हैं।

लम्बाई

लम्बाई को मापने के लिए **हांथ, बित्ता** और **अंगुर** (ऊंगली के पोर) का उपयोग करते हैं।

तरल पदार्थ

तरल पदार्थ को मापने के लिए **गिलास, कसेला व बोतल** का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में कमार जनजाति के लोग वनोपज संग्रहण का विक्रय व अन्य सामानों की क्रय–विक्रय वर्तमान मापक यंत्र किलोग्राम, क्विंटल में करते हैं।

सम्पत्ति

कमार जनजाति में चल और अचल संपत्ति की अवधारण पायी जाती है। ये जमीन, घर, बैल, गाय, बकरी, मुर्गी, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, गहना, चूड़ी, कड़ा आदि को अपना सम्पत्ति मानते हैं। सम्पत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को होता है। सम्पत्ति का बंटवारा पुत्रों को समान रूप से किया जाता है, किन्तु बड़े पुत्र को सम्पत्ति में से कुछ अधिक हिस्सा दिया जाता है जिसे जेठासी कहते हैं। सम्पत्ति में से लड़कियों को बंटवारा नहीं दिया जाता है जबकि विशेष परिस्थितियों में ही लड़कियों को सम्पत्ति का बंटवारा दिया जाता है। परिवार, स्थायी सम्पत्ति का क्रय–विक्रय का अधिकार मुखिया को होता है। परिवार में खर्च व लेन–देन का कार्य मुखिया द्वारा किया जाता है।

==0==

अध्याय 07
राजनैतिक संगठन

मानव समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कुछ सामाजिक प्रतिमान एवं सामाजिक नियंत्रण विद्यमान होते हैं। जटिल समाजों की अपेक्षा सरल समाजों में ये अनौपचारिक सहज, अप्रत्यक्ष तथा अचेतन होते हैं। इन समाजों में सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक विशिष्ट सामाजिक संगठन होता है जो कि धार्मिक रीति–रिवाजों एवं प्रथाओं से नियंत्रित होता है।

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत

कमार जनजाति में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए एक जाति पंचायत होती है, पंचायत का सदस्य परिवार के व्यक्ति होता है। जाति पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। सामान्यतः जातिगत विवादों आपसी मनमुटाव, लड़ाई–झगड़े, भूमि संबंधी विवाद, चोरी, अनैतिक संबंध, एवं ग्राम स्तर पर सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन आदि मामलों को सुलझाया जाता है।

क्षेत्रीय जाति पंचायत

क्षेत्र के दस–बारह कमार गांव मिलाकर एक क्षेत्रीय स्तर के जाति पंचायत का निर्माण किया जाता है जिसमें कमार जाति से संबंधित नियमों का उल्लंघन, अंतर्जातीय विवाह अनैतिक संबंध आदि पर सामाजिक नियमों के अनुरूप जाति पंचायत के मुखिया एवं पंच आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं। जाति पंचायत व्यवस्था में अर्थदण्ड, भोज, सामाजिक बहिष्कार जैसे दण्ड का प्रावधान है।

कमार जनजाति के सामान्यजन अपने मुखिया द्वारा बताये गये सामाजिक नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हैं। जाति पंचायत का मुखिया का पद प्रायः वंशानुगगत होता है। जो प्रायः गांव का **"पटेल"** ही होता है। गांव के पटेल की सामाजिक स्थिति सर्वोच्च

होती है तथा वह ग्राम के स्वजातीय समाज एवं शासकीय व्यवस्था के बीच एक मध्यस्थ का कार्य भी संपादित करता है।

कमार जनजाति के राजनैतिक संगठन में **मुखिया, पटेल, पंच, कोटवार या चपरासी** पदनाम होते हैं। ग्राम में आयोजित बैठक की मुनादी आदि की सूचना का आदान–प्रदान करने का कार्य जाति पंचायत के चपरासी का निर्धारित है। इनमें 10–12 गांव के जाति पंचायत मिलकर क्षेत्रीय स्तर की जाति पंचायत का निर्माण करती है। जब कोई सामुहिक त्यौहार या पर्व मनाया जाता है, उस समय पंचायत की बैठक आयोजित की जाती है तथा सलाह–मशवरा कर यथा योग्य वस्तुओं, रूपये आदि का संकलन किया जाता है तथा अलग–अलग गावों में कार्यों व व्यवस्था का बंटवारा करके धूमधाम से आयोजन करते हैं।

जाति पंचायत में वैवाहिक विवाद, अन्य जाति के साथ वैवाहिक संबंध अनैतिक संबंध आदि विवादों को निपटारा, पंचायत के मुखिया, पंच एवं समाज के बुजुर्गों एवं वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशविरा कर करते हैं। समाज में सामाजिक व्यक्ति का सामाजिक पद होता है जो निम्न है –

पटेल

ग्राम पटेल ग्राम का प्रमुख होता है, पटेल का पद प्रायः परंपरागत होता है, पूर्व में पटेल का मुख्य कार्य गांव में राजस्व एकत्र करके शासन को जमा करना होता था, इसके अलावा विवाह, तलाक, ग्राम के देवी–देवताओं की पूजा व्यवस्था, अनैतिक संबंध, दूसरे जाति से विवाह, बालात्कार आदि मामले के दोषी व्यक्ति को दण्ड देना है। गांव में इनकी स्थिति सर्वोच्च माना जाता है।

झाखर

झाखर (बैगा) गांव की देवी–देवताओं का धार्मिक पुजारी होता है। इसके अतिरिक्त झाखर जादू–टोना, तंत्र–मंत्र तथा जड़ी–बूटी द्वारा बीमारी का ईजाल भी करते हैं। इनका स्थान गांव की पटेल के बाद दूसरे स्थान पर होता है।

आधुनिक जाति पंचायत

वर्तमान समय में कमार जनजाति पर आधुनिकता बाहरी संपर्क, अन्य समाजों से संपर्क तथा पंचायती राज व्यवस्था के प्रभाव फलस्वरूप धीरे–धीरे इनके परंपरागत जाति पंचायत का प्रभाव कम होता जा रहा है। कमार जनजाति के लोग शिक्षा एवं जागरूकता द्वारा आधुनिक ग्राम पंचायत व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देने लगा है। आधुनिक राजनीति चेतना तथा आधुनिक ग्राम पंचायतों के गठन के पश्चात कमार जनजाति के लोग सरपंच, पंच, अध्यक्ष, सचिव आदि पदों पर कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान में आधुनिक ग्राम पंचायतें अधिक सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, ग्राम पंचायत में महिलाओं का स्थान सुरक्षित होने से महिलाएं भी विभिन्न राजनैतिक पदों को धारण कर पंचायत एवं ग्राम सभा में भाग ले रही हैं।

==0==

अध्याय 08

लोक परम्परा एवं परम्परागत ज्ञान

कमार जनजाति में अपने मनोरंजन की दृष्टि से विभिन्न उत्सवों एवं त्यौहारों में लोक गीत गाकर तथा नृत्य कर अपना मनोरंजन करते हैं। कमार जनजाति में अधिकतर विवाह एवं त्यौहारों के अवसर पर लोक गीत गाकर नृत्य करते हैं। विभिन्न अवसरों पर गाये जाने वाले कुछ लोक गीत निम्नानुसार है –

लोकगीत –

1. आपा पानो आना पानो रे डोलिया।
   बाजा बाजो रामो झामो रे डोलिया।
2. आयो डोकरी, बाबा आलो
   इयहा आया आयो बेटी बेटा चो
   तेल चघई दिडहा सहना एकातासम।

मौसम आधारित गीत –

मुहचो लाटो चो पानी मामा चो बेटी
काचो उतरियो बानी।

स्थान आधारित गीत –

धार पानी डोगोर गलो अनी यूपटनी
माचो बेटी को खआवा चाटनी।

परम्परागत चिकित्सकीय ज्ञान

राज्य में निवासरत कमार जनजाति जहां एक ओर अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़ी हुई है। वही आज भी ये अपने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पद्धति के रूप में अपने परम्परागत ज्ञान का उपयोग करती है और अपने परम्परागत औषधी तथा उपचार के आधार पर बीमारियों का उपचार भी करती है। कमार जनजाति द्वारा अपने निवास क्षेत्र मे जगलों, खेतों व पहाडी क्षेत्रों में सामान्यतः पाये जाने वाले वनस्पितियों के विभिन्न भागों

जैसे जड़ों, तनों, पत्तियों, फूल व फल का उपयोग कर रोगोपचार किया जाता है। जो निम्नानुसार है –

पेट दर्द

गटारन के बीज को पीस कर, गुड़ के साथ गोली बनाकर खिलाते हैं।

माता माता आने पर शाही पक्षी **''सइहा पोटा''** के आंत को गुड़ के साथ खिलाते हैं।

जोड़ों के दर्द

असोड़िया सांप के तेल को जोड़ों के दर्द व वात में लगाते हैं।

कांच से कट जाने तथा कांटा गड़ने पर उस स्थान पर भेलवा का तेल को लगाते हैं।

सांप काटने पर

मुर्गी को पीछे साइड से काटे हुए स्थान पर बिठाते हैं जिससे मुर्गी जहर खीच लेता है।

बिच्छू काटने पर

चुम्बक, इमली का बीज, टंगिया को काटे हुए स्थान पर लगाते हैं।

दस्त (Loosemotion)

दस्त रोकने के लिए तिलसा वृक्ष की छाल को पीस कर पानी के साथ रस निकाल कर पिलाते हैं।

रोहनी के तने की छाल को पीसकर पानी में मिलाकर उसे छानकर पिलाते हैं।

तेलगी

भेलवा की राख को उस पर चुपड़ देते हैं। भेलवा के तेल को बांस की तिलली में लेकर लगा देते हैं।

छूरी या टंगिया में कटने पर

सूती कपड़े को जलाकर उसके राख को कटे हुए स्थान पर लगाते हैं। जिससे वह ठीक होने पर ही बाहर निकलता है।

बुखार में

भुईलीम (चिरायता) को उबालकर पिलाते हैं।

बच्चों में कृमि होने पर

बच्चों में कृमि होने पर ''बंजर'' भसकटैया के बीज को पीस कर खिलाते हैं।

दांत दर्द में

छोटा **भसकटैया** के बीज को निकालकर सुखा लेते हैं। मिट्टी की **टुकनी, लोहे का चटुआ (चम्मच) व फल्ली** का तेल एक गहरी थाली में आधा थाली पानी लेते हैं जिसके ऊपर एक मिट्टी का टुकनी को उल्टा रखते हैं। टुकनी के बगल में एक चटुआ डालने के लिए एक छेद होता है और टुकनी के ऊपर एक छेद होता है। चटुआ को आग में गर्म करते हैं फिर उसमें तेल डालते हैं, तेल गर्म होने पर उसमें भसकटैया का बीज डालते हैं फिर उसे टुकनी के छेद से अंदर डालते हैं, टुकनी के ऊपरी छेद में मुंह को खोल कर रखते हैं जिससे मुंह का कीड़ा निकल जाता है। यह क्रिया 4 से 5 बार करते हैं जब तक कि कीड़ा बाहर नहीं निकल जाता है।

टी.बी.

डुडुंग मछली को घी में तल कर खिलाते हैं। डुडुंग मछली के रक्त को चांवल में सानकर खिचड़ी बनाकर मरीज को खिलाते हैं।

कान दर्द –

तुलनी पत्ते का रस निकालकर कान में डालते हैं।

एक दोना में केचवा को डालकर उस पर नमक डाल देते हैं, नमक डालने से उसमें से जो पानी निकलता है उसे कान में डालते हैं।

मंद (महुआ की शराब) का दो बूंद कान में डालते हैं।

सर्दी –

टोरी तेल/सरसों तेल से सेंकते हैं।

आंख दर्द

आंख में कचरा घूसने, दर्द होने अथवा आंख लाल होने पर पानी से आंख को धोते हैं और कपड़े से गोल बाल बनाकर मूंह से फूंक मारकर आंखों को सेकते हैं।

सजवन (सलिहा) के पत्ता को पानी के साथ पीसकर कपड़े में रखकर आंख में बांध कर सो जाते हैं, जिससे आंख आने पर साफ हो जाता है।

खुजली –

खुजली होने पर सागौन वृक्ष के छाल को पीस कर उसके रस को लगाते हैं।

बेमची –

रविवार के दिन चुनचुनिया भाजी का नार, कुंए के अंदर पायी जाने वाली उसी के समान वनस्पति को कड़ाही में भूनते हैं और उस में जिंदा ''टेटका'' छोटा छिपकली को भी डालकर भूनते हैं अंत में बचा हुआ भाग को नारियल तेल में मिलाकर लगाते हैं।

नाल सूखने के लिए –

''बोमलो'' नाल को जल्दी सूखने के लिए गोबर छेना की राख को लगाते हैं।

खरगोश के मल (Stool) को नाल पर लगाते हैं। जिससे (संक्रमण) Infection नहीं होता और नाल जल्दी सूख जाता है।

बांस के गांठ को जलाकर उसके राख को नाल में लगाने से वह जल्दी सूख जाता है।

हंडी की खपरैल को चूरा करके लगाते हैं।

करील (बांस का पोपल) को जलाकर कुसुम तेल में मिलाकर लगाते हैं।

पेट दर्द –

पेट में ज्यादा दर्द हो रहा हो तो गोबर के दिया बनाकर उसमें चार बत्ती जलाकर पेट में रख देते हैं उसके ऊपर कांस (कांसे) का लोटा को उल्टा रख देते हैं यह क्रिया तीन बार दोहराते हैं। इससे पेट दर्द ठीक हो जाता है।

शुभ–अशुभ विचार –

कमार जनजाति में कुछ दैनिक घटनाओं को अपने जीवनचक्र में शुभ–अशुभ के रूप में मानते हैं तथा यथासंभव उसका उपचार/निदान भी करते हैं।

1. अशुभ विचार – कमार जनजाति के लोग कुछ घटनाओं को अशुभ विचार के रूप में मानते हैं जिसमें से कुछ अशुभ विचार निम्नानुसार है –

1. काली उसी चिड़िया का आवाज करना।
2. खाली हांडी लेकर पानी लाने जाते देखना।
3. घर का राख फेंकते देखना।
4. शौंच के लिए जाते समय कसेला को देखना।

2. शुभ विचार – कुछ शुभ विचार निम्नांकित है –

1. भरी हुई हांडी देखना, पानी लाते देखना।
2. हांथ से बर्तन गिरना।
3. मुर्गी द्वारा धुल लाकर आंगन में गिराना।

3. मौसम के लिए विचार –

कमार जनजाति के लोग कुछ प्राकृतिक घटनाओं को देखकर मौसम का अनुमान लगाते हैं, मौसम के लिए विचार निम्नांकित है –

(1) वर्षा –

1. मोर या वनमुर्गी (बनकुकरी) द्वारा अपने घोसले में 2–3 अण्डा देने पर उतनी ही माह पानी गिरता है।
2. चैत्र या बैसाख माह में शहद लाते देखना या भरा हुआ मधुरस का छत्ता देखने से अच्छी वर्षा होती है।
3. शतमुर अच्छा फुलने (खिलने) पर भारी वर्षा होती है।

(2) शीत ऋतु –

1. सियार के अधिक आवाज करने से शीत बढ़ जाता है।
2. जिस वर्ष जितना पानी गिरता है शीत उतना ही लगता है।
3. पुस माह में पानी गिरने से खण्ड वर्षा होती है।

(3) ग्रीष्म ऋतु –

वृक्ष से ज्यादा पत्ता झड़कर हवा में उड़ता है तो गर्मी अधिक लगती है।

पुर्नजन्म –

कमार जनजाति में पुर्नजन्म पर अधिक विश्वास किया जाता है। पुर्नजन्म के संबंध में कमार जनजाति में प्रचलित कुछ विचारों की जानकारी निम्नांकित है :–

1. गर्भवती महिला को 7–8 माह में दर्द अथवा परेशानी होने पर बैगा, गुनिया या पुजारी द्वारा गर्भवती महिला के नाड़ी के धड़कन को छुकर डूमा, पितर, दादा, पिता आदि के नाम लेने से दर्द अथवा परेशानी शांत हो जाती है, तो पुर्नजन्म माना जाता है।

2. पैदा होने के बाद बच्चा जब अधिक रोता है तो गुनिया द्वारा पिड़हा में चांवल रखकर विचार करते हैं, जिस पूर्वज के नाम पर बच्चा रोना बंद कर देता है, तो उसे उस पूर्वज का पुर्नजन्म माना जाता है।

अध्याय 09
परिवर्तन

कमार जनजाति सघन वनाच्छादित क्षेत्रों, पहाड़यों एवं कंदराओं में निवास करते हैं। कमार जनजाति सदियों से सभ्य समाजों से दूर अलग–अलग अपना जीवनयापन करते थे। किन्तु पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण के गठन एवं विकासीय योजनाओं तथा बाह्य समाजों से संपर्क के कारण नई तकनीक का प्रसार तेजी से हो रहा है, फलस्वरूप कमार जनजाति के सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति, जीवन–शैली, राजनैतिक संगठन, भौतिक संस्कृति, रीति–रिवाज एवं परंपराओं में परिवर्तन आने लगा है, कमार जनजाति के जीवन में आये परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है :–

अधोसंरचना में परिवर्तन –

1. सड़क एवं पहुंच मार्ग –

कमार जनजाति सघन वनों एवं पहाड़ियों में निवास करते हैं, रास्ते नदी, नालों से भरा हुआ था जिससे सड़कें एवं पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं हो सका था, वर्षाकाल में नदी, नालों के भर जाने के बाद क्षेत्र वर्षाकाल तक अलग–थलग बाहरी दुनिया से संपर्कहीन हो जाते थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव–गांव तक सड़कों एवं पुल–पुलिया के निर्माण किये जा रहे हैं जिससे वर्षभर आवागमन जारी है।

2. संचार एवं विद्युतीकरण –

पूर्व में इन क्षेत्रों में विद्युत एवं संचार के साधनों का अभाव था। वर्तमान समय में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा गांव–गांव तक बिजली पहुंचाई जा रही है, कुछ क्षेत्रों को सोलर ऊर्जा द्वारा सोलर विद्युत प्रदाय की जा रही है, एकल बत्ती कनेक्शन के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयावन करने वाले परिवारों को मुफ्त में एकल बत्ती

कनेक्शन प्रदाय की जा रही है। संचार के साधनों के विकास एवं विस्तार से लोग टी.व्ही, मोबाईल, डी.टी.एच, के माध्यम से बाहरी दुनिया से संपर्क एवं मनोरंजन के साथ–साथ ज्ञानार्जन भी कर रहे हैं। आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में डी.टी.एच. सुविधाओं के साथ टेलीविजन की सुविधाएं दी जा रही है जिससे छात्र–छात्राएं मनोरंजन के साथ–साथ बाहरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

3. मूलभूत सुविधाओं का विकास –

कमार जनजाति क्षेत्र आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाओं जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सुविधाओं से दूर थे जिसमें अशिक्षा, रोगग्रस्तता, कुपोषण आदि समस्याओं से ग्रसित थे। वर्तमान समय में इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, आश्रम शाला, छात्रावास, मोबाईल स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, पेयजल, हैण्डपम्प आदि सुविधाओं का विस्तार हुआ है जिससे कमार जनजाति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं।

भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

कमार जनजाति घुमन्तु प्रवृत्ति के तथा आदिम रूप से स्थानान्तरित कृषि करने के कारण यहां–वहां भटकते रहते थे, वर्तमान में ये जनजाति स्थायी कृषि की ओर प्रवृत्त हुए एवं एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं। पूर्व में एकाकी जीवन जीते थे। अतः इनके ग्राम कम संख्या में थे किन्तु वर्तमान में स्थायी जीवन–शैली, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, स्थायी कृषि आदि के कारण स्थायी ग्राम की बसाहट हो गयी है।

कमार जनजाति परंपरागत रूप से लकड़ी एवं बांस पर मिट्टी का लेप लगाकर तथा छत को घांस–फूस से छाकर (ढ़ककर) आवास का निर्माण करते थे। वर्तमान में मिट्टी ईंट, सीमेंट से आवास निर्माण होने लगा है, घर अर्धपक्का एवं पक्का, फर्श पक्का,

छत खपरैल सीमेंट कांक्रीट तथा एसबेस्टस से निर्माण कर रहे हैं तथा दिवालों को पेंट डिस्टेंपर, चूने से पुताई कर रहे हैं।

कमार जनजाति के लोग पारंपरिक परिधानों के स्थान पर अब आधुनिक दैनिक उपयोगी वस्तुओं कपड़ों का उपयोग करने लगे। इनके कपड़े, पेंट–फूलपेंट, जैकेट, गमछा, शाल, छतरी, रैनकोट, चप्पल एवं जूते आदि का उपयोग करने लगे हैं।

कमार जनजाति के लोग पूर्व में भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन तथा भोजन करने के लिए दोना पत्तल का उपयोग करते थे। वर्तमान में कमार जनजाति के लोग, स्टील, एल्युमिनियम, कांसा, पीतल आदि धातुओं के बर्तनों का उपयोग करते हैं।

घरेलू दैनिक उपयोगी वस्तुओं में प्लास्टिक का सामान, कुर्सी, चटाई, दिवाल घड़ी, रेडियो, टेलीविजन, मोबाईल, पंखा, दुपहिया वाहन आदि दैनिक उपयोगी वस्तुओं का उपयोग इनमें हुए परिवर्तन को दर्शाता है।

आर्थिक जीवन में परिवर्तन

कमार जनजाति की आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार, बांस बर्तन निर्माण, स्थानांतरित कृषि, शिकार तथा खाद्य संकलन था। वर्तमान में अधिकांश कमार परिवार स्थायी कृषि करने लगे हैं, जिनमें धान, कोदो, कुटकी, कोसरा मड़िया, मूंग, उड़द एवं मक्का आदि की खेती करते हैं। कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करने लगे हैं। शिकार एवं वनोपज संकलन का कार्य वर्ष में कुछ ही दिन करते हैं। वर्तमान में कई युवक एवं युवतियां शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने लगे हैं।

आवागमन के साधनों में परिवर्तन

कमार जनजाति के लोग प्रायः पैदल ही यात्रा करते थे, सामानों को लाने–ले–जाने के लिए सीका या कावड़ का उपयोग करते थे, जिसमें समय अधिक लगता था तथा श्रमसाध्य होता था। वर्तमान में कमार जनजाति के लोग सायकल, मोटर सायकल,

ट्रेक्टर, जीप, बस आदि का उपयोग आवागमन एवं परिवहन के साधनों के रूप में करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन

कमार जनजाति के सामाजिक जीवन में भी काफी परिवर्तन आया है, पूर्व में समाज में एक दृढ़ सामाजिक संगठन विद्यमान था जो समाज के विषय में सोचते थे। सामाजिक निर्णय लेने में स्वतंत्र थे, किन्तु वर्तमान में आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं। अन्य सामाजिक संपर्क के कारण इनके सामाजिक नियमों एवं रीति–रिवाजों में परिवर्तन दिखाई देता है।

5.1 प्रसव –

कमार जनजाति में प्रसव उसी के समाज की बुजुर्ग महिलाओं द्वारा घर में की जाती थी, किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित, दाई, नर्स एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में होने लगा है। संस्थागत प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है।

5.2 नामकरण –

बच्चों का नामकरण प्राचीन पद्धति, ऋतु, दिन, माह, पूर्वज आदि आधार पर होता था किन्तु वर्तमान में बाहरी संपर्क का प्रभाव के फलस्वरूप बच्चों के नाम में परिवर्तन दिखाई देते हैं।

5.3 विवाह आयु –

कमार जनजाति में अल्प आयु में विवाह की प्रथा पायी जाती थी किन्तु वर्तमान में औसत विवाह आयु में वृद्धि हुई है।

5.4 अंतर्जातीय विवाह –

कमार जनजाति की युवक–युवतियां शिक्षा प्राप्त करने एवं शासकीय नौकरियों में कस्बों या दूसरे ग्रामों या शहर में निवास करने लगे हैं जो अन्य जनजाति/जाति के युवक–युवतियों से विवाह करने लगे हैं।

5.5 उपहार –

कमार जनजाति में विवाह, जन्म आदि अवसरों पर दिये जाने वाले उपहार (भेंट) के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है, आजकल जन्म विवाह के अवसर पर ये आधुनिक वस्तुएं रूपये–पैसे उपहार में देने लगे हैं।

राजनैतिक जीवन में परिवर्तन

कमार जनजाति में अब धीरे–धीरे जाति पंचायत का प्रभाव कम होता जा रहा है। आधुनिक ग्राम पंचायत अब अधिक सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। परंपरागत ग्राम पंचायत में स्त्रियों की सहभागिता/प्रतिनिधित्व नहीं था किन्तु आधुनिक ग्राम पंचायतों में स्त्रियों को स्थान दिया गया है जिससे महिलाएं विभिन्न राजनैतिक पदों में आसीन होकर पंचायत एवं ग्राम सभा में भाग ले रही है।

शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन

कमार जनजाति में साक्षरता का स्तर धीरे–धीरे बढ़ रहा है। महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जिससे महिला साक्षरता दर बढ़ रहा है। शासन द्वारा इनके लिए आश्रम स्कूल एवं छात्रावास खोले गये हैं, जिससे शिक्षा के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है। कुछ युवक–युवतियां शिक्षा प्राप्त कर शासकीय सेवा में आ गये हैं।

धार्मिक जीवन में परिवर्तन

कमार जनजाति का धार्मिक आस्था प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। ये जनजाति अपने सामाजिक संस्कार एवं धार्मिक अनुष्ठान अपने प्राचीन रीति–रिवाजों के अनुरूप करते हैं। किन्तु वर्तमान में हिन्दू संस्थाओं के संपर्क में आने से हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा, व्रत एवं त्यौहारों को मानने लगे हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन

पूर्व में कमार जनजाति के लोग बीमारी में सर्वप्रथम वैद्य के पास जाते थे, झाड़–फूंक आदि कराते थे, क्योंकि वे बीमारी का कारण भूत–प्रेत, जदू–टोना लगना व देवी–देवताओं का प्रकोप मानते थे। किन्तु वर्तमान में शिक्षा के प्रभाव से अब रोगोपचार के लिए डॉक्टरों के पास जाने लगे हैं। पूर्व में प्रसव घर में ही बुजुर्ग महिलाओं से कराते थे, किन्तु वर्तमान समय में संस्थागत प्रसव की ओर रूझान बढ़ा है।

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन

कमार जनजाति में धीरे–धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। पूर्व में कमार बच्चे प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर पढ़ाई छोड़ देते थे किन्तु अब शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार एवं उपलब्धता के कारण अब उच्च स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज कई बच्चे शिक्षा प्राप्त कर शासकीय सेवा में आ गये हैं। जिससे उनकी जीवनशैली एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है।

शासकीय योजनाओं से लाभ

शासन द्वारा कमार जनजाति के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित है जो निम्नानुसार है –

1. आर्थिक विकास की योजनाएं

सर्वेक्षित कमार परिवारो में आर्थिक विकास की योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति निम्नांकित है –

आर्थिक विकास की योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति

क्र.	योजनाएं	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	वन अधिकार मान्यता	47	38.84
2	भूमि सुधार	24	19.83
3	खाद बीज प्रदाय	28	23.14
4	कृषि उपकरण प्रदाय	9	7.44
5	सिंचाई योजना	11	9.09
6	पशुपालन	2	1.65
7	मत्स्य पालन	0	0.00
8	कौशल प्रशिक्षण	7	5.79
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121			

सर्वेक्षित कमार परिवारों मे सर्वाधिक 38.84 प्रतिशत परिवारों को वन अधिकार मान्यता पत्र 19.83 प्रतिशत परिवारों को भूमि सुधार 23.14 प्रतिशत परिवारों को खाद्यबीज प्रदाय, 9.09 प्रतिशत परिवार को सिंचाई योजना, 7.44 प्रतिशत परिवार को कृषि उपकरण प्रदाय योजना, 5.79 प्रतिशत परिवार को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा 1.65 प्रतिशत परिवार को पशुपालन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

2. अन्य योजना से लाभान्वयन

सर्वेक्षित कमार परिवारो में अन्य योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है–

अन्य योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति

क्र.	योजनाएं	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	सौर सुजना	1	0.82
2	नल–जल योजना	15	12.40
3	राशन कार्ड	120	99.17
4	स्मार्ट कार्ड	116	95.87
5	आधार	121	100.00
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121			

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षित परिवारों में शतप्रतिशत परिवारों को 99.17 प्रतिशत परिवारों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, 95.87 प्रतिशत परिवारों को स्मार्ट कार्ड, 12.40 प्रतिशत परिवारों को नल जल योजना एवं मात्र 0.82 प्रतिशत परिवारों को सौर सुजला योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

3. विद्युतीकरण की स्थिति –

सर्वेक्षित कमार परिवारों के आवास मे विद्युतीकरण की स्थिति निम्नांकित है –

आवास में विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.	विद्युतीकरण का प्रकार	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	ग्रीड	90	74.38
2	सौर उर्जा	11	9.09
3	विद्युतविहीन	20	16.53
योग		**121**	**100.00**

सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 74.38 प्रतिशत परिवारों का आवास ग्रीड तथा 9.09 प्रतिशत परिवारों में सौर उर्जा द्वारा विद्युतीकृत पाया गया।

4. शौचालय की उपलब्धता –

सर्वेक्षित कमार परिवार के आवासों मे शौचालय की उपलब्धता निम्नानुसार है –

आवास में शौचालय की उपलब्धता

क्र.	शौचालय की उपलब्धता			
	हां		नही	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	101	83.47	20	16.53
कुल सर्वेक्षित परिवार – 121				

सर्वेक्षित परिवारों में 83.47 प्रतिशत परिवारों के घरों में निस्तार हेतु शौचालय की उपलब्धता पायी गयी।

==0==

अध्याय 10
समस्या एवं सुझाव

कमार जनजाति निरंतर विकास के मार्ग पर प्रयासरत हैं किन्तु विभिन्न समस्याएं उनके विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। विकास के मार्ग में बाधक प्रमुख समस्याएं निम्नानुसार है :–

1. सामाजिक समस्याएँ

I. सामाजिक मान्यताएं एवं परंपराएं –

कमार जनजाति के लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, किन्तु जीवन संस्कारों जन्म, विवाह, मृत्यु के अवसर पर सामाजिक भोज, वधू मूल्य देना पड़ता है, आर्थिक विपन्नता के चलते इन्हें ऋण लेना पड़ता है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर होते जा रही है। जो कि इनके आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बाधक तत्व है।

II. अंधविश्वास –

कमार जनजाति के जीवन में प्राचीन मान्यताओं विचारधाराओं तथा अंधविश्वास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिसके चलते नवीन विचारधारा, नवाचार को आसानी से आत्मसात नहीं कर पाते, जो कि इनके विकास के लिए बाधक है।

III. नशे की आदत –

कमार जनजाति के विभिन्न संस्कारों, उत्सवों में शराब का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। परिवार के सभी सदस्य स्त्री–पुरूष एवं बच्चे शराब का सेवन करते हैं, इसके अलावा, तम्बाखू, बीड़ी, गुड़ाखू आदि का सेवन करते हैं। कमार सदस्यों का यह नशे की आदत उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होने के साथ–साथ, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी बहुत नुकसानदायक है।

2. आर्थिक समस्याएं

I. कृषि संबंधी समस्याएं –

कमार जनजाति में पारंपरिक कृषि पद्धति, असिंचित एवं वर्षा आधारित कृषि, असमतल एवं बंजर भूमि, उन्नत बीज एवं खाद का प्रयोग नहीं करने के कारण मोटे अनाज की खेती करते है, जिससे पैदावार काफी कम होती है, जो इसके वर्षभर उपयोग के लिए अपर्याप्त होती है।

II. बेरोजगारी –

कमार जनजाति परिवार के सदस्यों को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल पाने के कारण अधिकांश लोग बेरोजगार रहते हैं। कृषि मजदूरी, वन एवं अन्य शासकीय मजदूरी में बहुत कम समय तक के लिए रोजगार उपलब्ध हो पाता है। परिणाम स्वरूप वनोत्पाद एवं जंगली कंद मूल–फल खाकर गुजर–बसर करना पड़ता है।

III. गरीबी एवं ऋण ग्रस्तता –

कमार जनजाति परिवारों में पर्याप्त आय प्राप्त न होने के कारण गरीबी व्याप्त है तथा जीवन संस्कारों एवं अन्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ता है, फलस्वरूप इनकी आर्थिक विकास नहीं हो पाता है।

IV. वनोत्पादन –

शासकीय वन नीति एवं वनों की कटाई के कारण वनोपज संग्रहण का कार्य कुछ दिनों तक चलता है, उनके परंपरागत व्यवसाय हेतु पर्याप्त बांस उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसका असर उनके आर्थिक जीवन में दिखाई देता है।

V. शिकार –

पूर्व में कमार जनजाति के लोग कुछ सीमा तक शिकार एवं मत्स्याखेट से अपना भोजन की व्यवस्था कर लेते थे किन्तु शासन द्वारा प्रतिबंध लगने एवं वनों की अधिकाधिक कटाई से वह भी खत्म हो गया।

VI. बाजार की कमी –

सहकारी उचित मूल्य की दुकान तथा बाजार की उत्तम व्यवस्था नहीं होने के कारण कमार जनजाति के लोग अपने बांस बर्तनों एवं वनोपज संग्रहण को बिचौलियों को बेचना पड़ता है, जो उसको उनके वस्तुओं का काफी कम दाम देता है।

3. शैक्षणिक समस्याएं

कमार जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है। अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर शाला त्याग देते है, स्त्रियों की साक्षरता और अधिक निम्न स्तर पर है। शिक्षा के प्रति पालकों एवं बच्चों की अभिरूचि काफी कम दिखाई देती है, इसे वे समय की बरबादी मानते हैं। फलस्वरूप बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात लड़को को कृषि मजदूरी एवं अपने परंपरागत व्यवसाय बांस–बर्तन बनाने में लगा देते हैं तथा लड़कियों को घरेलू कार्यों एवं घर के छोटे–बच्चों की देखभाल में लगा देते हैं। शिक्षा का अभाव इनके विकास हेतु प्रमुख बाधक तत्व है।

4. राजनैतिक समस्या

पूर्व में कमार जनजाति में अपना संगठित परंपरागत जाति पंचायत तथा नियम होते थे जहां इनकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाता था, किन्तु धीरे–धीरे इन परंपरागत संगठनों का हास होने से विविध मामलों, समस्याओं में कोर्ट–कचहरी एवं पुलिस में जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं, जो इनकी एक प्रमुख समस्या है।

5. धार्मिक समस्या

कमार जनजाति में देवी–देवताओं की पूजा, अनुष्ठानों में बलि प्रथा का प्रचलन है इनमें परंपरागत रूप से जीवन संस्कारों में आज भी बलि प्रथा प्रचलित है, जो इनके आर्थिक विकास में बाधक है।

6. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

कमार जनजाति के अधिकांश लोग कुपोषण एवं एनिमिया से ग्रसित है। अपनी प्राचीन मान्यता अनुसार अपने छोटे–बड़े बीमारियों में बीमारी का करण देवी–देवताओं का रूष्ट होना या भूत–प्रेत, जादू–टोना का प्रकोप मानते हैं, फलतः रोगोपचार के लिए डॉक्टर से उपचार कराने के बजाय, बैगा–गुनिया या झाखर के पास झाड़–फूंक के लिए पहले जाते हैं। उससे ठीक न होने पर अंत में रोग गहराने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे वे असमय ही काल कलवित हो जाते हैं।

कमार जनजाति निवास क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, कुशल चिकित्सकों के अभाव के कारण अप्रशिक्षित चिकित्सकों से उपचार कराना पड़ता है, जो रोगोपचार से पूर्व ही उपचार की राशि तय कर देता है जो अधिक महंगा होता है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे किस्तों में भुगतान करता है। अयोग्य व्यक्तियों से उपचार करवाकर स्वास्थ्य एवं आर्थिक शोषण का शिकार हो जाते हैं।

कमार जनजाति में घर पर पारंपरिक, अप्रशिक्षित दाई से प्रसव करवाने को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे जच्चा–बच्चा दोनों के लिए खतना बना रहता है।

गर्भवती स्त्रियों द्वारा आवश्यक कैल्सियम एवं आयरण की दवाईयों का नियमित एवं पर्याप्त सेवन नहीं करने से जच्चा एवं बच्चा के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।

7. विकास योजना

अशिक्षा एवं जानकारी के अभाव में शासन की विभिन्न विकास मूलक एवं परिवार मूलक योजनाओं का कमार जनजाति परिवार के लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिस परिवार के लोग लाभ ले रहे हैं वह एक से अधिक योजनाओं का लाभ एक से अधिक बार ले रहे हैं जिससे पूरे कमार परिवारों का विकास नहीं हो पा रहा है।

सुझाव –

1. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति मे व्याप्त परम्परागत सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवहारों/क्रियाकलापों मे होने वाले व्यर्थ के व्यय को सीमित करने हेतु समाज प्रमुखों को जागरूक करते हुए व्यर्थ के आडम्बरों से होने वाले हानि से अवगत कराया जाए तथा समाज मे उत्पन्न व्यसनों को दूर करने प्रेरित किया जा सकता है। जिससे कमार जनजाति के लोग स्वस्थ रहते हुए अपने आजीविका, शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दे सके।
2. शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2016 के तहत राज्य की कमार जनजाति वर्ग को भी वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किये गये है किन्तु क्षेत्र के अवलोकन में पाया गया कि, वितरित वन अधिकार मान्यता पत्र अन्तर्गत प्राप्त अधिकार की भूमि वर्तमान में या तो वनाच्छादित है अथवा पड़ती/बंजर भूमि के रूप में है। इस कारण ये उक्त मान्यता प्राप्त भूमि का किसी भी रूप मे उचित उपयोग नही कर पाते है। अतःएव वन अधिकार मान्यता देने के साथ साथ उन्हें उक्त भूमि का समतलीकरण कर कृषि योग्य भूमि के रूप में प्रदाय किया जाना उचित होगा। साथ ही साथ आधूनिक कृषि पद्धति उन्नत बीज, खाद का उपयोग के संबंध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे परम्परागत तकनीक के साथ–साथ आधुनिक कृषि पद्धति का उपयोग कर पर्याप्त फसल ले सके।
3. कमार जनजाति परम्परागत रूप से एक कुशल बांस बर्तन निर्माता समुदाय है। जो अपने पूर्वजों से सीख कर वर्तमान में भी बांस बर्तन बनाने का कार्य करते है। वर्तमान परिदृष्य में शासन द्वारा वनों से बांस की अवैध कटाई वर्जित है जिस कारण इन्हें बांस–बर्तन निर्माण हेतु कच्चा माल सुगमता से प्राप्त नही हो पा रहा है जिस कारण कई परिवारों द्वारा बांस–बर्तन बनाने का कार्य छोड़ना पड़ा है जिससे वे आर्थिक रूप से असक्षम हुए है। शासन द्वारा कई स्थानों पर वन समिति द्वारा कच्चा बांस उपलब्ध कराया जाता है किन्तु वन समिति के माध्यम से आवश्कता अनुरूप बांस उपलब्ध नही

हो पाती है। अतः आवश्यतानुसार वन समिति द्वारा बांस उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। जिससे परिवार आर्थिक रूप से भी सुदृण हो सके।

4. बांस बर्तन निर्माण के पश्चात ये अपने उत्पाद को केवल स्थानीय बाजार तक ही विक्रय कर पाते है जहां इनके उत्पाद को कम कीमत अथवा कोचिये द्वारा क्रय कर लिया जाता है और अन्य स्थानों शहरो आदि में दोगुने दामों में बेचा जाता है।

अतः इनके उत्पादों को विक्रय हेतु उचित मूल्य की दुकान या क्रय समिति का गठन कर उत्पादों को क्रय किया जावे जिससे उन्हें उचित मूल्य और लाभ लाभ प्राप्त हो सके।

5. शासन द्वारा इनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित है, तथा ग्राम स्तर पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकताओं एवं आंगनबाड़ी के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति सतत रूप से कार्य किया जा रहा है। किन्तु इनके सांस्कृतिक एवं सामाजिक परम्पराओं के कारण आधूनिक चिकित्सा पद्धति को पूर्ण रूप से स्वीकार नही कर पा रहे है अतः इनके परम्परागत लोग चिकित्सकों एवं समाज प्रमुखों को जागरूक एवं प्रशिक्षित कर आधूनिक चिकित्सा के प्रति इन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा सकता है।

6. शासकीय योजनाओं का सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक हितग्राहियों की पुष्टि हो सके तथा पृथक–पृथक योजनाओं हेतु पृथक–पृथक रूप से परिवारों का चयन किया जावें जिससे प्रत्येक परिवारों को शासकीय योजनाओ का लाभ मिल सके।

(शम्मी आबिदी IAS)
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

कमार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फोन : 0771-2960530, E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in